RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/आश्विन १४-२०, शके १९३८ [पृष्ठे ५६

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०१४.— महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन और जारी रहना). . अधिनियम, २०१४	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१४.—महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ . .	७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०१४.—महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) अधिनियम, . . २०११.	२६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१४.—महाराष्ट्र साहुकारी (विनियमन) अधिनियम, २०१४ . .	३८

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2014.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT AND CONTINUANCE) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ मार्च २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १८ मार्च २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में संशोधन करने के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (जिसे इसमें आगे " उक्त अध्यादेश " कहा गया है) ४ अक्तूबर, २०१३ को प्रख्यापित किया था ; सन् १९६६ का ३७। सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १५।

और क्योंकि ९ दिसंबर, २०१३ को नागपुर में राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन २०१३ का विधानसभा क्र. ३६ के रूप में ११ दिसंबर, २०१३ को प्रस्तुत किया गया था ;

और क्योंकि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २० दिसंबर २०१३ को सत्रावसान हो जाने के कारण पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) द्वारा यथा उपबाधित अध्यादेश १९ जनवरी, २०१४ के बाद प्रवर्तित होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि उक्त अधिनियम में कतिपय अतिरिक्त गौण संशोधन को उसमें सम्मिलित करने के बाद, उक्त अध्यादेश को प्रवर्तन में जारी रखना इष्टकर समझती है ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६ में कतिपय गौण संशोधन को सम्मिनित करने के बाद उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और, इसलिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, २० फरवरी २०१४ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९६६ का महा ३७। सन् २०१४ का महा अध्या क्र. ६।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं; इसलिए भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन और जारी रहना), अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ४ अक्तूबर २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७।

१९६६ का महा. ३७ के अध्याय के शीर्षक ३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) के अध्याय तीन में " **विकास योजना** " शीर्षक के अधीन " (क) **विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी** " उप शीर्षक के स्थान में, निम्न उप-शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (क) विकास योजना के आशय की घोषणा करना, प्रस्तुतीकरण और मंजुरी देना। "।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २१ की,–

(क) उप-धारा (२) में, " प्रारुप विकास योजना तयार करना और ऐसे रित्या तैयारी करने की सूचना **राजपत्र** में प्रकाशित करना " शब्दों के स्थान में " प्रारुप विकास योजना तैयार करने का अपना आशय घोषित करना, ऐसी योजना तैयार करना और ऐसे तैयारी की सूचना **राजपत्र** में प्रकाशित करना " शब्द रखे जायेंगे;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(१) " यदि, प्रारुप विकास योजना प्रस्तुत नही की गई है " शब्दों के स्थान में, " यदि धारा २३ के अधीन प्रारुप विकास योजना के आशय की घोषणा नहीं की गई है या यदि प्रारुप विकास योजना प्रस्तुत नही गई " है शब्द रखे जायेंगे ;

(२) " नगर योजना के संबंधित प्रभागीय उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जे नगर योजना के सहायक निदेशक से अनिम्न श्रेणी का नहीं है, उस क्षेत्र का आवश्यक सर्वेक्षण कार्यान्वित करने और नगर योजना निदेशक के परामर्श में विद्यमान-भूमि-उपयोग नक्शा तैयार करने के पश्चात् " शब्दो के स्थान में, " नगर योजना और मुल्यांकन विभाग के संबंधित प्रभागीय संयुक्त या उप-निदेशक या उसके द्वारा नामर्दिष्ट नगर योजना के सहायक निदेशक से अनिम्न श्रेणी का नहीं है, कोई अधिकारी या, यथास्थिति, आशय घोषित करने और नगर योजना निदेशक के परामर्श में विद्यमान-भूमि-उपयोग नक्शा तैयार करने के पश्चात् उस क्षेत्र का आवश्यक सर्वेक्षण कार्यन्वित कर सकेगा " शब्द रखे जायेंगे ।

(ग) उप-धारा (४क) में,—

(१) " २३" और " २८ " अंक अपमार्जित किये जायेंगे ;

(२) " नगर योजना के संबंधित प्रभागीय उप-निदेशक या उसके द्वारा नामर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जो नगर योजना के सहायक निदेशक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का है " शब्दो के स्थान में, " नगर योजना और मुल्यांकन विभाग के संबंधित प्रभागीय संयुक्त या उप-निदेशक या उसके द्वारा नामर्दिष्ट किसी अधिकारी या, नगर योजना के सहायक निदेशक से अनिम्न श्रेणी का है के द्वारा " शब्द रखे जायेंगे ।

(३) निम्न परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

परन्तु, उक्यत अधिकारी, विकास योजना तो तैयारी के चरण संबंधी नगर योजना निदेशक द्वारा कोई आदेश विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अवधि के भीतर, योजना प्राधिकरण की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ;

परन्तु, आगे यह कि, प्रथम परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि सुसंगत धारा के अधीन, अनुबद्ध मूल अवधि से अधिक नहीं होगी। "।

सन १९६६ का महा. ३७ की धारा २५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २५ के लिए, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्,–

" परन्तु, इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि, किसी मामले में कुल एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। "।

सन १९६६ का महा. ३७ की धारा २६ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २६ उप-धार (१) में,–

(१) प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :–

" परंतु, नगर निगम के मामले में नवीतम जनगणना के अनुसार, दस लाख या से अधिक जनसंख्या होगी तो, आक्षेपों और सुझावों को माँगने की अवधि राजपत्र में, सूचना के दिनांक से साठ दिनों की होगी : " ;

(२) प्रथम परन्तुक में, " परन्तु " शब्द के स्थान में, " परन्तुक आगे यह कि " शब्द रखे जायेंगे;

(३) द्वितीय परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा अर्थात् :–

" परंतु यह भी कि, इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि, किसी मामले में,—

(एक) नवीतम जनगणना आँकडों के अनुसार, दस लाख या अधिक जनसंख्या खाली नगर निगम मामले में, कुल बारह महिने, और

(दो) किसी अन्य मामले में कुल छह महिने से अधिक नहीं होगी । " ।

सन १९६६ का महा. ३७ की धारा २८ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा २८ की,–

(क) उप-धारा (२) के द्वितीय परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा अर्थात् :–

" परंतु आगे यह कि, धारा २१ की उप-धारा (४) के अधीन, जहाँ नगर योजना और मूल्यांकन विभाग के प्रभागीय संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिकारी, योजना प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपाल करेगा, तब योजना समिति, ऐसे प्रभागीय संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक या, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी से मिलकर होगी । " ;

(ख) उप-धारा (३) में, " उसकी नियुक्ति के दिनांक से दो महिनों के पश्चात् नहीं " शब्द के स्थान में, " उसकी नियुक्यत के दिनांक से दो महिनों की अवधि के भीतर या योजना प्राधिकरण ऐसी विस्तारित की गई अवधि के भीतर विनिर्दिश्ट करें " शब्द रखे जायेंगे ।

सन १९६६ का महा. ३७ की धारा ३० में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (१) के परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा अर्थात् :–

परंतु, राज्य सरकार, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी द्वारा किये गये आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा और पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी अतिरिक्त अवधि द्वारा उक्त अवधि, समय-समय पर बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी मामले में,–

(एक) नवीतम जनगणना के आँकडों के अनुसार, दस लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर निगम मामले में, बारह महिने, और

(दो) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य मामले में छह महिने से अधिक नहीं होगें । " ।

सन १९६६ का महा. ३७ की धारा ३१ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ३१ की,–

(क) उप-धारा (२) के प्रथम परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा अर्थात् :–

परंतु, राज्य सरकार, जैसा उचित समझे, चाहे उक्त अवधि अवसित हो या न हो, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, पारुप विकास योजना के मंजुरी की अवधि समय-समय से विस्तारित कर सकेगी या उसकी मंजुरी के अनुसार अस्वीकृत कर सकेगी, ऐसी अधिकतर अवधि.–

(एक) नवीतम जनगणना के आँकडों के अनुसार, दस लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर निगम मामले में, बारह महिने, और

(दो) ऐसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय किसी अन्य मामले में, छह महिने से अधिक नहीं होगी : " ;

(ख) उप-धारा (२) में,–

(एक) " वर्ग एक अधिकारी " शब्द और अंक के स्थान में, " समूह क अधिकारी " शब्द और अक्षर रखे जायेंगे;

(दो) " राज्य सरकार को " शब्द के पश्चात्, निम्न निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :–

" उप धारा (१) के द्वितीय परन्तुक के अधीन, सूचना के प्रकाशन के दिनांक से अक वर्ष के भीतर ";

(ग) उप-धारा (३) में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा अर्थात् :–

" परंतु, उप-धारायें (१) और (२) में यथा उपबाधित समय-सीमा, उप-धारा (१) के अधीन प्रकाशित किये गये उपांतरणों के अनुदत्त मंजूरी के लिए लागू नहीं होगी :

परंतु आगे यह की, सरकार, उप-धारा (२) के अधीन, नियुक्त अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, ऐसे उपांतरणों संबंधी अंतिम निर्णय लेगी। "।

सन १९६६ का महा. ३७ की धारा १४८-क की निविष्टी।

९. मूल अधिनियम की धारा १४८ के बाद निम्न धारा निविष्ट की जायेगी अर्थात् :–

१४८-क. इस अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार, और पाँच के उपबन्धों के अधीन किसी विकास योजना, प्रादेशिक योजना या योजना संबधी, अवधि की गणना करते समय, किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के कारण, अवधि या अवधियों, के दौरान, उक्त अध्यायों के अधीन, कोई कार्यवाही पूरी नहीं की गई है तो वह अपवर्जित की जायेगी। "।

कतिपय मामलों में अवधि का अपमार्जन।

संदेह का निराकरण । सन २०१३ का महा. अध्या. क्र. १५।

१०. संदेह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, :–

(एक) जहाँ मूल अधिनियम के उपबंध, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगरयोजना (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे " उक्त अधिनियम " कहा गया है) द्वारा उसके संशोधन के पूर्व किसी बात को करने के लिए कोई समय सीमा नियत नही गई है तो, मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नियम ऐसी बात करने के लिए समय सीमा, उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से परिगणित की जायेगी ;

(दो) मूल अधिनियम की धारा २१, २५, २६, २८, ३० और ३१ उपबंध उक्त अधिनियम द्वारा उसके संशोधन के पूर्व, किसी बात करने की समय-सीमा के लिए उपबंध उक्त अधिनियम द्वारा पुनरीक्षित किये गये है, अतिरिक्त अवधि यदि कोई हो, ऐसे पुनरीक्षण के कारण, उक्त अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन या उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व, जो भी बाद का हो, सुसंगत उपबंधों में प्राप्त मूल समय-अवधि के दिनांक से परिगणित की जायेगी ।

सन २०१४ का महा. अध्या. क्र. ६।

सन २०१४ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

११. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ एत्द्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

कठनाई के निराकरण की शक्ति।

१२. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत ऐसा निदेश दे सकेगी जिसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो सके।

परन्तु, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन और जारी रहना) अधिनयम, २०१४ के प्रारभ्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा। सन २०१४ का महा. ५।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्यक्ष सदन के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2014.

THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक १९ मार्च २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2014.

AN ACT TO ESTABLISH AND INCORPORATE NATIONAL LAW UNIVERSITIES IN THE STATE FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF LEGAL EDUCATION AND FOR THE PURPOSES OF IMPARTING SPECIALIZED AND SYSTEMATIC INSTRUCTION, TRAINING AND RESEARCH IN SYSTEMS OF LAW AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २० मार्च २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2014.

A BILL

An Act to establish and incorporate National Law Universities in the State for the development and advancement of legal education and for the purpose of imparting specialized and systematic instruction, training and research in systems of law and for the matters connected therewith or incidental thereto.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१४।

विधि शिक्षा का विकास और उन्नति के लिए और विशेष और सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिये विधि की प्रणाली में प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिये राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, विधि शिक्षा का विकास और उन्नति के लिए और विशेष और सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिये, विधि की प्रणाली में प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को स्थापित और निगमित करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था **और, इसलिए,** महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, सन् २०१४ २०१४ १८ फरवरी, २०१४ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१४ का महा. १ अध्या. क्र. ५।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज के पैसठवे वर्ष में एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह १८ फरवरी २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " अकादमिक परिषद " का तात्पर्य, धारा २१ में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद से है ;

(ख) " भारतीय विधिज्ञ परिषद " का तात्पर्य, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद से है ; सन १९६१ का २५।

(ग) " कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(घ) " कार्यकारी परिषद " का तात्पर्य, धारा १५ में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद से है ;

(ङ) " वित्त समिति " का तात्पर्य, धारा २५ में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है ;

(च) " महापरिषद " का तात्पर्य, धारा ११ में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की महापरिषद से है ;

(छ) " रजिस्ट्रार " का तात्पर्य, धारा २९ में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है ;

(ज) " विनियमनों " का तात्पर्य, धारा ४४ के अधीन किये गए विश्वविद्यालय के विनियमों से है ;

(झ) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम की संलग्न अनुसूची से है ;

(ञ) " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ट) " अध्यापक " इसमें विश्वविद्यालय के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और शिक्षा प्रदान करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति शामिल होंगे ;

(ठ) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, अनुसूची में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से है ;

(ड़) " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ; सन १९५६ का ३।

(ढ) " कुलपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलपति से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।

३. (१) ऐसे दिनांक से, जैसा राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें, वहाँ ऐसा विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसका अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नाम और मुख्यालय होगा :

परन्तु, अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किये जा सकेंगे।

(२) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, समय-समय से इस अधिनियम के अधीन ऐसे नाम, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक से जैसा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए किसी नवीन विश्वविद्यालय का गठन कर सकेगी और उक्त अधिसूचना द्वारा अनुसूची में यथोचित संशोधन द्वारा अनुसूची में आवश्यक प्रविष्टियाँ भी निविष्ट करेगी और तद्नुसार, उसपर अनुसूची संशोधित की गई मानी जायेगी :

परन्तु, ऐसी अधिसूचना राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव को छोडकर जारी नहीं की जायेगी।

(३) प्रत्येक विश्वविद्यालय, कुलाधिपति, कुलपति, महापरिषद, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और रजिस्ट्रार से मिलकर बनेगा।

(४) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय, उक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होकर इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन चल और स्थावर दोनों सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, संविदा करने की शक्ति प्राप्त होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलायेगी और उनपर वाद चलाया जा सकेगा।

(५) विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों का अभिवचन, कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में सभी प्रक्रिया कुलपति को जारी और तामिल की जायेगी।

(६) उप-धारा (२) में निर्दिष्टत विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान में होगा, जैसा कि राज्य सरकार **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विधि का अध्ययन और ज्ञान और विधि प्रक्रिया में आधुनिकता लाना और राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका का प्रसार करना, वकालत, विधि सेवा, विधि-निर्माण, विधि सुधार और इसी तरह के कार्यों के संबंध में निपुणता, विकास द्वारा विधि के क्षेत्र में समाज की सेवा करने की जिम्मेवारी की भावना, छात्र और अनुसंधान विद्वान में विकसित करना, व्याख्यान, सेमिनार, परिसंवाद और सम्मेलन का आयोजन करना, विधि ज्ञान को बढ़ावा देना और समाज विकास के लिये विधि बनाना और विधि प्रक्रिया को प्रभावी साधन बनाना, परीक्षा करवाना और उपाधियाँ तथा अन्य अकादमिक पदकों को प्रदान करना और ऐसे समस्त कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या प्रेरक हों।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला होगा।

५. भारत का कोई भी नागरिक, केवल लिंग, वंश, पंथ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक विश्वास या राजनितिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों की किसी सदस्यता से या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेषयोग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए विवर्जित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति पर किसी परीक्षण करने चाहे वह किसी शिक्षक या छात्र के रूप में उसके प्रवेश किये जाने या उसमें किसी पद धारण करने या उसमें स्नातक होने या उपयोग करने या उसके किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार होने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय के अधिरोपण करने के लिए विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा।

विश्वविद्यालय आरक्षण आदि के संबंध में सरकारी नीति अपनायेगी।

६. (१) विश्वविद्यालय, शिक्षकों और शिक्षकेतर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश और फीस संरचना के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (**विमुक्त जातियाँ**), खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकारी नीति और समय-समय से जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय से यथा निर्देशित समाज के गरीब वर्गों और अल्पसंख्याकों के विभिन्न प्रवर्गों के कल्याण के संबंध में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

७. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे,—

(एक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रो का प्रशासन और प्रबंध करना ;

(दो) विधि संबंधी ज्ञान या अध्ययन ऐसी शाखाओं में अनुदेश का उपबंध करना जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे और अनुसंधान के लिये और विधि के ज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए उपबंध करना ;

(तीन) बाह्य अध्ययन और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और जिम्मेवारी लेना ;

(चार) परीक्षाएँ लेना और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अनुदत्त करना और उपाधियाँ और अन्य अकादमिक उपाधि प्रदत्त करना और उचित तथा पर्याप्त कारण के लिए किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य अकादमिक उपाधियाँ वापस लेना ;

(पाँच) विनियमों में अधिकथित रीत्या मानद उपाधियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदत्त करना ;

(छह) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, माँग करना और प्राप्त करना जैसा कि विनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ;

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉल और छात्रावास संस्थित करना और उनका रखरखाव करना और निवास के किसी ऐसे स्थान के अनुसार ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(आठ) विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है, वहाँ अनुसंधान और संस्थाओं के लिये ऐसे विशेष केन्द्रो, विशेषताप्राप्त अध्ययन केन्द्रो या अन्य युनिटों की स्थापना करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और छात्रों का अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(दस) महिला छात्रों के निवास, अनुशासन और अध्यापन के संबंध में व्यवस्था करना ;

(ग्यारह) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासकीय, मंत्रीपदीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना और प्रवृत्त करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा कि वह आवश्यक समझें ;

(तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्यों, सहआचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्य, प्राध्यापकों और कोई अन्य अध्यापन, अकादमिक या अनुसंधान पदों को सांस्कित करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय के आचार्यें, सहआचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्रध्यापकों की या से अन्यथा शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के रूप में नियुक्ति करना ;

(पंद्रह) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, इनामों और पदकों को सांस्कित करना और प्रदान करना ;

(सोलह) अनुसंधान और अन्य कार्यों का मुद्रण, प्रतिकृति और प्रकाशन करना और प्रदर्शनों का आयोजन करना ;

(सत्रह) विधि, न्याय और सामाजिक विकास के सभी पहलूओं में अनुसंधान प्रायोजिक करना और जिम्मेवारी लेना ;

(अठारह) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और ऐसे प्रयोजन के लिए सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठनाओं से सहयोग देना जिसे विश्वविद्यालय समय-समय से अवधारित करें ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सहत हो सके ;

(उन्नीस) विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की संस्थाओं से सहयोग देना, शिक्षकों और विद्वानों द्वारा उन विश्वविद्यालय के समान पूर्ण या भागतः उद्देश्य होगा और साधारणतः ऐसी रीत्या साधारण उद्देश्य को सहायक किया जा सकेगा ;

(बीस) विश्वविद्यालय के खर्च को विनियमित करना और लेखाओं का प्रबंध करना ;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के परिसरों के भीतर या अन्यत्र विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ऐसी वर्गकक्षाओं और अध्ययन हॉल स्थापित करना और बनाए रखना और उसके समान समुचितरूप से प्रस्तुत करना और ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों को स्थापित करना और बनाए रखना जैसा कि विश्वविद्यालय के लिये सुविधाजनक या आवश्यक प्रतीत हो सके ;

(बाईस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये और जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उन उद्देश्यों से संगत अनुदान, परिदान, अंशदान, दान और उपहार प्राप्त करना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो सके ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित और समुचित समझे, विक्रय, पट्टे पर लेने या उपहार के रूप में स्वीकृत करने या अन्यथा किसी भूमि या भवन या संकर्म और किसी ऐसे भवन या संकर्म संरचित करना या हेर-फेर करना और बनाए रखना ;

(चौबीस) विश्वविद्यालय की चल या स्थावर संपूर्ण सम्पत्ति या किसी भाग विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों पर जैसा वह उचित और समूचित समझे विक्रय, विनिमय, पट्टे पर या अन्यथा निपटान करना :

परन्तु, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति का राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना या जिस पर राज्य सरकार ने अनुमोदन दिया है के निबन्धनों और शर्तो के अनुपालन के बिना विक्रय, विनिमय, पट्टे पर या से अन्यथा निपटान नहीं करेगी।

(पच्चीस) वचनपत्र लिखना और स्वीकृत करना, बनाना और पृष्ठांकन करना, छूट देना और परक्राम्य करना और अन्य वचनपत्र, विनिमय बिल, चेक या अन्य परक्राम्य लिखत लिखना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उपार्जित की गई सरकारी प्रतिभूतियों समेत जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में हस्तान्तरण, अन्तरण, पुनः हस्तान्तरण, बंधक, पट्टा, लाइसेंस और करार निष्पादित करना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के किसी लिखत के निष्पादन या किसी कारोबार के संव्यवहार करने के उद्देश्य में जैसा वह उचित समझे किसी व्यक्ति को नियुक्त करना ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय की ओर से चलाये जानेवाले किसी वर्गों या विभागों को रूकवाना और बंद करना ;

(उनतीस) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या प्राप्त अनुदानों के लिए अन्य प्राधिकरणों से किसी करार में दर्ज करना ;

(तीस) ऐसे निबन्धनों पर जैसा वह इष्टकर समझे किसी किस्म की रकम, प्रतिभूति या सम्पत्ति का अनुदान स्वीकृत करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय की सभी या किन्हीं सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों पर पाये गये या अवधारित बंधपत्र, बंधक, वचनपत्र या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर या ऐसी प्रतिभूतियों के बिना और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय का निधि खर्च करने, रकम उठाने के लिए आनुषंगिक सभी खर्च और पुनः अदायगी करना और उधार ली गई किसी रकम को निर्मुक्त करना ;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय की निधियाँ या ऐसी प्रतिभूतियों में या पर विश्वविद्यालय को निहित या सौंपी गई रक़म या ऐसी रीत्या निवेश करना जैसा वह उचित समझे समय-समय से किसी निवेश का स्थान बदलना ;

(तेंतीस) विश्वविद्यालय के कामकाज और प्रबंधमंडल को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे विनियमों को समय-समय से बनाना और हेर-फेर, उपांतरण और उसे रद्द करना ;

(चौंतीस) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासकीय और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए पेन्शन, बीमा, भविष्य निधि और उपदान ऐसी रीत्या और ऐसी शर्तों के अध्यधीन गठित करना जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के किन्ही कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसा अनुदान देना जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लाभ के लिए संगठनों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों की स्थापना में सहयोग और सहायता करना और अभिहस्तांतरण को परिकलित करना ;

(पैंतीस) विश्वविद्यालय की किसी समिति या किसी उप-समिति या उसके निकाय या उसके अधिकारियों के किसी एक या अधिक सदस्यों को कुलपति की सभी या किन्ही शक्तियाँ को प्रत्यायोजित करना ; और

(छतीस) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति या वृद्धि के लिये आवश्यक, सहायक या आनुषांगिक समझी जाये ।

विश्वविद्यालय में अध्यापन।

८. (१) विश्वविद्यालय की उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के संबंध में सभी मान्यताप्राप्त अध्यापन, विनियमों द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा महापरिषद के नियंत्रण के अधीन संचालित किया जायेगा ।

(२) ऐसे अध्ययन के आयोजन के लिए जिम्मेवार पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और प्राधिकरण, विनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति।

९. (१) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित जो उच्चतम न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(२) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के उसके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखी गई किसी संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्य भी जैसा वह निदेश दे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जाँच करने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किन्ही मामलों के संबंध में उसी रित्या जाँच करने का अधिकार होगा।

(३) कुलाधिपति, किये जानेवाले निरीक्षण या जाँच के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को प्रत्येक मामले में देगा और विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिये हकदार किया जायेगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किये जाने का हक प्राप्त होगा।

(४) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सन्दर्भ से कुलपति को संबोधित करेगा और कुलपति, कुलाधिपति के रूप में ऐसी सलाह के साथ कुलाधिपति का मत कुलाधिपति के राय में उस पर की जानेवाली कार्यवाही प्रस्तुत करके महापरिषद को संसूचित करेगा।

(५) महापरिषद, ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर अपने द्वारा करने या जो की गई है का प्रस्ताव रखती है, तो ऐसी कार्यवाही यदि कोई हो, कुलाधिपति को कुलपति के जरिए संसूचित की जायेगी।

विश्वविद्यालय का प्राधिकरण।

१०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे,—

(एक) महापरिषद ;

(दो) कार्यकारी परिषद ;

(तीन) अकादमिक परिषद ;

(चार) वित्त समिति ; और

(पाँच) ऐसा अन्य प्राधिकरण जैसा कि विनियमों द्वारा घोषित किया जा सके।

महापरिषद।

११. (१) महापरिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य सलाहकार निकाय होगी और वह निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) भारत के महान्यायवादी ;

(चार) कुलाधिपति द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश ;

(पाँच) उच्चतर शिक्षामंत्री, महाराष्ट्र राज्य का मंत्री ;

(छह) विधि मंत्री, महाराष्ट्र राज्य ;

(सात) मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशया उनका का नामनिर्देशित ;

(आठ) कुलाधिपति द्वारा नामित किया जानेवाला मुंबई उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश ;

(नौ) महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ;

(दस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशित ;

(ग्यारह) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशित ;

(बारह) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद ;

(तेरह) महाराष्ट्र शासन के सचिव या प्रधान सचिव या, यथास्थिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अप्पर मुख्य सचिव ;

(चौदह) कुलाधिपति द्वारा नामित की जानेवाली सामाजिक विज्ञान और मानवियता अनुशासनों में की दो प्रतिष्ठित व्यक्तियाँ, ;

(पंद्रह) कुलाधिपति द्वारा नामित की जानेवाली विधि क्षेत्र में की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ;

(सोलह) कुलाधिपति द्वारा नामित की जानेवाली शैक्षणिक क्षेत्र में की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ; और

(सत्रह) कार्यकारी परिषद के दो सदस्य जो महा परिषद के अन्य सदस्य नहीं है।

स्पष्टीकरण.—खंड (पाँच) और (छह) के प्रयोजनों के लिए, यदि मुख्यमंत्री विभाग का प्रभारी मंत्री है तो अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मंत्री सदस्य होगा।

(२) कुलाधिपति, महापरिषद का अध्यक्ष होगा।

(३) कुलपति, महापरिषद का सचिव होगा।

महापरिषद के सदस्यों का पदावधि।

१२. (१) महापरिषद के सदस्यों का पदावधि पदेन सदस्यों से अन्य उप-धारा (२), (३) और (४) के उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों का होगा।

(२) जहाँ महापरिषद का सदस्य, पद या नियुक्ति धारण करने के कारण द्वारा ऐसा सदस्य होगा या कोई नामित सदस्य है तो उसकी सदस्यता ऐसा पद नियुक्ति धारण करने से वह परिविरत होता है या, यथास्थिति, उसका नामनिर्देशन वापस या रद्द किया जाता है तो समाप्त किया जायेगा।

(३) महापरिषद का कोई सदस्य, यदि वह इस्तिफा देता है या विकृत चित्त का है या अनुन्मोचित दिवालीया है या नैतिक अधमतावाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या यदि ऐसा सदस्य कुलपति से अन्य विश्वविद्यालय में पूर्ण समय नियुक्ति स्वीकृत करता है या यदि वह कुलाधिपति की अनुमति प्राप्त किये बिना महापरिषद की लगातार तीन बैठको में उपस्थित होने में असफल होता है तो सदस्य होने से परिविरत होगा।

(४) महापरिषद का कोई सदस्य, कुलाधिपति को सम्बोधित कर अपने पद का त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो ऐसा त्यागपत्र यथा शीघ्र लागू होगा।

(५) महापरिषद में कोई रीक्ति नियुक्ति या, यथास्थिति, नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी, संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई व्यक्ति उसके समान हकदार होगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है यदि रिक्ति नहीं हुई होती, तो पद धारण करता।

महापरिषद की शक्तियाँ और कृत्य।

१३. महापरिषद की निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) समय-समय पर विश्वविद्यालय के व्यापक नितियों और कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये मानकों को सुझाना ;

(दो) उक्त लेखाओं पर वार्षिक रिपोर्ट, वित्तिय प्राक्कलन और लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के कार्यक्षम कृत्यों और प्रशासन के लिए आवश्यक समझा जाये ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना।

महापरिषद की बैठक।

१४. (१) महापरिषद की साल में कम से कम एक बैठक ली जायेगी। महापरिषद की वार्षिक बैठक यह किसी वर्ष के संबंध में कार्यकारी परिषद द्वारा नियत किये गये दिनांक पर होगी यदि महापरिषद द्वारा कुछ अन्य दिनांक नियत नहीं किया गया हो।

(२) कुलाधिपति, जब उपस्थित होंगे तब, बैठक की अध्यक्षता करेंगे कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित महापरिषद का कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(३) महापरिषद के वार्षिक बैठक में कुलाधिपति द्वारा जमा और खर्चों का विवरण, लेखा परीक्षण का विवरण और वित्तिय प्राक्कलन के साथ पूर्व वर्ष के विश्वविद्यालय के कृत्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(४) महापरिषद की बैठक कुलाधिपति द्वारा बुलाई जायेगी और उनकी अनुपस्थिति में कुलपति खुद होकर या महापरिषद के दस से ज्यादा नही होंगे इतने सदस्यों के अनुरोध पर महापरिषद की बैठक बुलाई जायेगी।

(५) महापरिषद के हर एक बैठक की सूचना पंधरा दिन पूर्व दी जायेगी।

(६) महापरिषद के एक तिहाई आसीन सदस्यों से मिलकर गणपूर्ति होगी।

(७) हर एक सदस्य को एकही मत रहेगा और महापरिषद द्वारा निश्चायक किसी प्रश्न पर समान मत गिरने पर बैठ़क का सभापति रहनेवाले व्यक्ति को निश्चायक मत देने का अधिकार रहेगा।

(८) यदि उन सदस्यों में मताभिन्नता आती है तो, सदस्यों के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा।

(९) यदि महापरिषद द्वारा कोई तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक होता है तो, कुलपति महापरिषद के सदस्यों को कागजातों के वितरण द्वारा कारोबार पूर्ण करने की अनुमति देगा। महापरिषद के सदस्यों की बहुमत द्वारा यदि सहमति बनती है तो प्रस्तावित की जानेवाली कार्यवाही नही की जायेगी। महापरिषद के सभी सदस्यों को की जानेवाली कार्यवाही को तुरंत ज्ञापित किया जायेगा और महापरिषद के पुष्टीकरण के लिये अगली बैठक में कागजात समक्ष रखे जायेंगे।

कार्यकारी परिषद।

१५. (१) कार्यकारी परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(२) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंधन, प्रबंधन और नियंत्रण और उसकी आय कार्यकारी परिषद से निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधि को नियंत्रित और प्रशासित करेगी।

(३) कार्यकारी परिषद, निम्न व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति ;

(दो) महापरिषद का सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा निर्णायक के रूप में नामित होगा ;

(तीन) महाराष्ट्र सरकार के उच्चतर शिक्षा और तकनीकी विभाग के सचिव या प्रधान सचिव या, यथास्थिति, अपर सचिव ;

(चार) महाराष्ट्र सरकार वित्त विभाग के सचिव या प्रधान सचिव या, यथास्थिति, अपर सचिव ;

(पाँच) महाराष्ट्र सरकार के विधि और न्याय विभाग के सचिव या, प्रधान सचिव ;

(छह) महापरिषद का सदस्य जो विधि क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति है ;

(सात) महापरिषद का सदस्य जो शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति है ;

(आठ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के पाँच प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक ;

(४) कुलपति, कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा।

कार्यकारी परिषद की पदावधि।

१६. (१) जहाँ कोई व्यक्ति, उसने धारण किये पद या नियुक्ति के कारण द्वारा, कार्यकारी परिषद का सदस्य होकर उसकी सदस्यता, जब वह उस पद या नियुक्ति धारण करने से वह परिविरत हो जाता है तब पर्यवसित होगी।

(२) कार्यकारी परिषद का सदस्य, सदस्य होने से परिविरत हो जायेगा, यदि वह त्यागपत्र देता है या विकृत चित्त का है या नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त दांडिक अपराध में दोषसिद्ध है या यदि वह कुलपति से अन्य सदस्य है या विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक संकाय सदस्य के रूप में स्वीकृत है या कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की इजाजत के बिना कार्यकारी परिषद की तीन अनुक्रमिक बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

(३) जब तक कार्यकारी परिषद की सदस्यता, उप-धारा (१) के अधीन पर्यवसित या उप-धारा (२) के अधीन परिविरत नहीं की जाती है तब तक उस दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर उनकी सदस्यता त्याग देगा जिस दिनांक से वे कार्यकारी परिषद के सदस्य नहीं होंगे किन्तु वे पुनः नामांकन या, यथास्थिति, पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु, प्रथम कार्यकारी परिषद की पदावधि पाँच वर्षों की होगी।

(४) पदेन सदस्य से भिन्न कार्यकारी परिषद का सदस्य, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष को संबोधित कर के अपने पद का त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र यथाशीघ्र प्रभाव से कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(५) कार्यकारी परिषद में की कोई रिक्ति, या तो नियुक्ति या, यथास्थिति, नामांकन द्वारा उसे करने के हकदार संबंधित प्राधिकरण द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त या नामित व्यक्ति केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामित किया गया है यदि रिक्ति नहीं हुई होती, तो वह पद धारण करता।

कार्यकारी परिषद की शक्तियाँ और कृत्य।

१७. (१) धारा १५ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यकारी परिषद को, निम्न शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, समय-समय पर कुलपति, रजिस्ट्रार, ग्रंथपाल, प्राचार्य, सहयोगी प्राचार्य, सहायक प्राचार्य और अध्ययन कर्मचारीवृंद के अन्य सदस्यों की, यथा आवश्यक नियुक्ति करना :

परंतु, अकादमिक परिषद की सिफारिशों का विचार करने के बाद से अन्यथा, अध्यापकों की संख्या अर्हताएँ और उपलब्धियों के संबंध में द्वितिय परंतुक द्वारा सम्मिलित मामलों को छोड़कर कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परंतु यह और भी कि, निम्न नियुक्तियाँ करने के लिए किसी चयन समिति को गठित करने की आवश्यकता नहीं होगी,—

(क) कोई अधिसंख्य पद ; या

(ख) कार्यकारी परिषद द्वारा प्राचार्य पद के लिए उच्च अकादमिक विशेषता प्रतिष्ठित और व्यावसायिक योग्यतावाले व्यक्ति को पद स्वीकृति के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(दो) प्रशासनिक, मंत्रीपदीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियाँ अवधारित करना, ऐसे पदों की नियुक्ति करने के लिए न्यूनतम अर्हता विनिर्दिष्ट करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्तियाँ करने के लिए इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा विहित किये जाये ऐसे निर्बंधन और शर्तें रखना या कार्यकारी परिषद, समय-समय पर, या तो सामान्य तथा या विशेषतया, निर्देश देकर संकल्प द्वारा ऐसे प्राधिकरण या प्राधिकारियों या अधिकारी या अधिकारियों के नियुक्तियों की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेगी ;

(तीन) विश्वविद्यालय किसी अधिकारी को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न अनुपस्थिति की छुट्टी विनियमों के अनुसार मंजूर करेगा और उसकी अनुपस्थिति के दौरान, ऐसे अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक उपबंध बनाना ;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त लेखा, निवेश, संपत्ति, कारोबार और समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना और विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिए और उस प्रयोजन के लिए ऐसे एजंटों को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे ;

(पाँच) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धन का निवेश करना, किसी अनुपयोजित आय समेत, ऐसे स्टॉक, निधियाँ, शेअर या प्रतिभूतियों में जैसा वह समय-समय पर उचित समझें या भारत में स्थावर संपत्ति की खरीद, समय–समय से ऐसे निवेशों के फेरफार जैसी शक्ति होंगी ;

(छह) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या स्थावर संपत्ति का अंतरण या अंतरणों की स्वीकृति करना ;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा में प्रवेश करना, परिवर्तन करना, निर्वहन और रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझें ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना ;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए भवन, परिसर, फर्निचर और यंत्र और जरुरतवाले अन्य साधनों का प्रबंध करना ;

(नौ) का प्रतितोष करना जो, न्यायालय के कृत्य द्वारा से भिन्न किसी कारण के लिए हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक, छात्र और विश्वविद्यालय के कर्मचारी के किसी शिकायत पर विचार करना और यदि वह उचित समझे तो न्यायनिर्णय करना ;

(दस) परीक्षक और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियाँ और यात्रा तथा अन्य भत्तें, अकादमिक परिषद से परामर्श में करके नियत करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और मुद्रा की अभिरक्षा करने का प्रबंध करना ; और

(बारह) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उस पर प्रदत्त या अधिरोपित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करना।

कार्यकारी परिषद की बैठकें।

१८. (१) कार्यकारी परिषद, कम से कम तीन महीनों में एक बार बैठक करेगी और ऐसे बैठक की सूचना पंद्रह दिनों से कम नहीं दी जायेगी।

(२) कार्यकारी परिषद के छह सदस्य, उसमें की किसी बैठक पर गणपूर्ति संस्थापित करेगी।

(३) सदस्यों में से राय की मतभिन्नता के मामले में, बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(४) कार्यकारी परिषद के हर एक सदस्य को एक मत होगा और यदि कार्यकारी परिषद द्वारा अवधारित किये जानेवाले किसी प्रश्न पर मत समान पडते है तो, कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष, या, यथास्थिति, सदस्य बैठक की अध्यक्षता करनेवाले सदस्य को अतिरिक्त में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(५) कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होने के नाते कुलपति द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति के अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य अध्यक्षता करेगा।

(६) यदि, कार्यकारी परिषद द्वारा तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है तो, कुलपति, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को कागजातों के वितरण द्वारा संव्यवहार को पूरा करने की अनुज्ञा देगा । प्रस्तावित की जानेवाली कार्यवाही जबतक कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं होती है तब तक नहीं की जायेगी । इस प्रकार की गई कार्यवाही तुरंत कार्यकारी परिषद के सदस्यों को संसूचित की जायेगी । कागजात, पुष्टि हेतु कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में रखे जायेंगे ।

कार्यकारी परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति ।

१९. (१) इस अधिनियम और इस निमित्त तदधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद, संकल्प द्वारा, विश्वविद्यालय को किसी शक्ति का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले पर उसमें जाँच करने, रिपोर्टिंग करने या सलाह देने के लिए कार्यकारी परिषद उचित समझे ऐसे प्रयोजनों और ऐसे शक्तियों के साथ ऐसी स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी या तदर्थ समितियाँ नियुक्त कर सकेगी ।

(२) कार्यकारी परिषद, स्थायी समिति या तदर्थ समितियों पर ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी जैसा कार्यकारी परिषद की बैठकों में उन्हें उपस्थित रहने के लिए उचित समझें और अनुज्ञा देगी ।

कार्यकारी परिषद द्वारा शक्तियों का प्रत्योयोजन ।

२०. कार्यकारी परिषद, प्रस्ताव द्वारा, कुलपति को या समिति को जैसा वह उचित समझे उसकी कोई शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा, इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में कुलपति या ऐसी समिति द्वारा की गई कार्यवाही, कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में प्रतिवेदित की जायेगी ।

अकादमिक परिषद।

२१. अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय का अकादमिक निकाय होगी और एसे इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन, नियंत्रण और साधारण विनियम की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय को अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी और इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित की जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगी । उसे सभी अकादमिक मामलों पर कार्यकारी परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा ।

अकादमिक परिषद का गठन।

२२. (१) अकादमिक परिषद, निम्न व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है ऐसे विख्यात शिक्षाविदों विद्वान या साहित्यिक या सन्मान प्राप्त या अध्ययन व्यवसाय का सदस्य या विख्यात व्यक्ति में से तीन व्यक्ति ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति ;

(घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद का नामनिर्देशित ;

(ड.) विभागों के सभी प्रमुखों ;

(च) विभाग के प्रमुखों से अन्य सभी आचार्यों ;

(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द, उपस्थित सहयोगी और सहायक आचार्यों में के दो सदस्य ;

(२) पदेन सदस्यों से अन्य सदस्यों का पदावधि उप-धारा (१) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट जिस अवधि का है वह (तीन वर्ष का) होगा :

परन्तु, प्रथम अकादमिक परिषद का पदावधि पांच वर्षों का होगा ।

अकादमिक परिषद की शक्तियाँ और कृत्य।

२३. इस अधिनियम के उपबंधों और विनिमयों के अध्यधीन, अकादमिक परिषद उसमें निहित सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त होंगी जो निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) महापरिषद या कार्यकारी परिषद द्वारा निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किन्ही मामलों पर रिपोर्ट करना ;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और पारिश्रमिक और उससे संलग्न कर्तव्यों संबंधी कार्यकारी परिषद को सिफारिश करना ;

(तीन) संकायों की संघटनाओं के लिए योजनाएँ बनाना, उपांतरित करना या पुनरीक्षित करना और उनके संबंधि विषयों के ऐसे संकायों को समनुदेशित करना और किसी संकाय या एक संकाय से अन्य के संयोजन के उन्मूलन या उप-विभाजन की कार्यसाधकता के रूप में कार्यकारी परिषद को भी रिपोर्ट करना ;

(चार) विश्वविद्यालय में उन नामांकन से अन्य व्यक्तियों के अनुदेश या परीक्षा के लिये विनियमों के ज़रिए व्यवस्था करना ;

(पाँच) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय से रिपोर्ट की मांग करना ;

(छह) संकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर विचार करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिये समिति नियुक्त करना ;

(आठ) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा या उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और उपाधियों के संबंध में उनके समतुल्य अवधारण करना ;

(नौ) महा परिषद द्वारा स्वीकृत किसी शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अन्य इनामों के लिए प्रतियोगिता का समय, ढंग, और शर्तें नियत करना और उसके समान पुरस्कार देना ;

(दस) परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्यकारी परीषद को सिफारिशें करना और यदि आवश्यक हो, उन्हें हटाना और उनके फीस, पारिश्रमिक और यात्रा तथा अन्य खर्च नियत करना ;

(ग्यारह) परिक्षाओं का संचालन करने की व्यवस्था करना और उन्हें करने के लिए दिनांक नियत करना ;

(बारह) विभिन्न परिक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियाँ या अधिकारियों को नियुक्त करना और उपाधियाँ, मानद, डिप्लोमा, लाईसेंस, हक और सम्मान प्रतिक प्रदान करने या देने संबंधि सिफारिशें करना ;

(तेरह) वृतिका, छात्रवृत्ति, मेडल और इनाम देना और विनियमों तथा जैसा पुरस्कार के लिए संलग्न किया जा सके ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार देना ;

(चौदह) विहित या सिफारिश किये गये पाठ्यपुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और अध्ययन के विहित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्य प्रकाशित करना ;

(पंद्रह) विनियमों द्वारा समय-समय से विहित ऐसा प्रपत्र और रजिस्टर तैयार करना ; और

(सोलह) अकादमिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के उचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक समझे सभी ऐसे कृत्य और सभी ऐसे कार्य करने का अनुपालन करना ।

अकादमिक परिषद के बैठकों की प्रकिया ।

२४. (१) अकादमिक परिषद, जैसा आवश्यक हो कितनी ही बार बैठक करेगा परन्तु, अकादमिक वर्ष के दौरान दो बार से कम नहीं होगी ।

(२) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए अकादमिक परिषद के सदस्यों के कुल संख्या के आधे सदस्यों की गणपूर्ति से होगी ।

(३) सदस्यों की अलग-अलग राय के मामले में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(४) अकादमिक परिषद के अध्यक्ष समेत अकादमिक परिषद के हर एक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि अकादमिक परिषद द्वारा अवधारित किये जानेवाले किसी प्रश्न पर मत समान पडते है तो अकादमिक परिषद का अध्यक्ष या, यथास्थिति, बैठक की अध्यक्षता करनेवाले सदस्य को अतिरिक्त में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(५) अकादमिक परिषद के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अकादमिक परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उस अवसर पर बैठक द्वारा चुने गये किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

(६) यदि, अकादमिक परिषद द्वारा कोई तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो तो अकादमिक परिषद का अध्यक्ष, अकादमिक परिषद के सदस्यों को काग़ज़ात के वितरण द्वारा संव्यवहार का कारोबार करने के लिए अनुमति दे सकेगा । प्रस्तावित कार्यवाही, जबतक अकादमिक परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा सम्मत नहीं की जाती है तब तक नहीं की जायेगी। इस प्रकार की गई कार्यवाही अकादमिक परिषद के सभी सदस्यों को तत्काल संसूचित की जायेगी । काग़ज़ातों के पुष्टीकरण के लिये वह अकादमिक परिषद के अगली बैठक के समक्ष रखे जायेंगे ।

वित्त समिति।

२५. (१) कार्यकारी परिषद द्वारा गठित वित्त समिति निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक) कुलपति ;

(दो) अपने सदस्यों में से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य, जिसमें से महाराष्ट्र सरकार से कम से कम एक प्रतिनिधि होगा ।

(तीन) विश्वविद्यालय का वित्त तथा लेखाअधिकारी ;

(२) कुलपति से अन्य वित्त समिति का एक सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(३) वित्त समिति की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होंगे, अर्थात् ;

(एक) विश्वाविद्यालय के वार्षिक बजट की परीक्षा करना और संवीक्षा करना और कार्यकारी परिषद के वित्तिय मामलों पर सिफारिशें करना ;

(दो) नवीन खर्च के लिये सभी प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यकारी परिषद को सिफारिश करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय लेखाओं के नियतकालिक विवरण पर विचार करना और विश्वविद्यालय के वित्त का समय-समय से पुनर्विलोकन करना ; और पुर्नविनियोग विवरण और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और कार्यकारी परिषद को सिफारिशे करना ;

(चार) कार्यकारी परिषद या कुलपति से अपने स्वयं के उपक्रमण या सन्दर्भ पर विश्वविद्यालय को प्रभावी करनेवाले किसी वित्तीय प्रश्न पर कार्यकारी परिषद को अपनी राय देना और सिफारिशे करना ;

(४) वित्त समिति, प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। वह वित्त समिति के तीन सदस्यों के गणपूर्ति से होगी ।

(५) कुलपति वित्त समिति के बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में निर्वाचित एक सदस्य अध्यक्षता करेगा । सदस्यों में उनकी राय के विभिन्न मामलों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

चयन समिति।

२६. (१) कार्यकारी परिषद, विश्वविद्यालय में आचार्य, सहयोगी आचार्य सहाय्यक आचार्य और अन्य शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के लिये कार्यकारी परिषद को सिफारिशे करने के लिये चयन समिति गठित की जायेगी ।

(२) चयन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

(एक) कुलपति, जो इस समिति का सभापति होगा ;

(दो) संबंधित किसी विभाग यदि कोई हो, का प्रमुख परन्तु जिसके लिये चयन बनाया गया है उसके निम्न दरजे का पद धारण करनेवाला नहीं हो ;

(तीन) अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पॅनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्टित आचार्य, सहयोगी आचार्य और सहायक आचार्य के चयन के लिए तीन विशेषज्ञ ;

(३) जब भी आवश्यक हो कुलपति द्वारा चयन समिति की बैठक बुलाई जायेगी । कुलपति, चयन समिति के बैठक की अध्यक्षता करेंगे । चयन समिति के तीन सदस्यों में से एक विशेषज्ञ होगा जिससे गणपूर्ति से होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

२७. विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्न, होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति ;

(दो) रजिस्ट्रार ;

(तीन) विभागों के प्रमुख ;

(चार) वित्त और लेखा अधिकारी ; और

(पाँच) विनियमों द्वारा विहित किये गये ऐसे अन्य अधिकारी ।

कुलपति।

२८. (१) कुलपति, उस निमित्त किये गये विनियमों के अनुसार और कुलाधिपति के परामर्श से कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु, प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) कार्यकारी परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निर्देशनों के अध्यधीन कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में कार्यकारी परिषद की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(३) कुलपति जो, एक अकादमिक व्यक्ति और विश्वविद्यालय में विधि का आचार्य होकर, पाँच वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण किया हुआ होगा जिसमें, कार्यकारी परिषद द्वारा उस प्रभाव के संकल्प द्वारा या अध्यापन कर्मचारीवृंद के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु तक जो भी पहले हो का नवीकरण किया जायेगा। इस पदावधि के अवसान पर, वह उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किये जानेतक पद पर बना रहेगा और उसके पद पर प्रविष्ट रहेगा ।

(४) कुलपति,—

(एक) इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से पालन किये जाने की सुनिश्चिति करेगा और उसे उस प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक है ऐसी समस्त शक्तियाँ होंगी ;

(दो) महापरिषद, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद की बैठकों को बुलायेगा और इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यथा आवश्यक सभी अन्य कृत्य करेगा ;

(तीन) विश्वविद्यालय के द्वारा या के विरुद्ध वाद या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय अभ्यावेदन करेगा, मुख्तारनामा हस्ताक्षरित करेगा और गिरवी रखे गयें को सत्यापित करेगा या इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करेगा ;

(चार) विश्वविद्यालय में अनुशासन उचित रूप से बनाये रखने संबंधी समस्त शक्तियाँ होंगी ।

(५) यदि कुलपति की राय में कोई आपात्काल उद्भूत होता है, जिससे तत्काल कार्यवाही करनी आवश्यक है तो, वह उचित समझे ऐसी कार्यवाही करेगा और प्राधिकरण की अगली बैठक में पुष्टि के लिए उसी का रिपोर्ट रखेगी जो, सामान्य प्रक्रम के मामले के संबंध में विचार करेगी।

रजिस्ट्रार।

२९. (१) रजिस्ट्रार, कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। रजिस्ट्रार के सेवा के निर्बंधन और शर्ते, विनियमों द्वारा विहित की जाये ऐसी होगी।

(२) रजिस्ट्रार, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति और संकायों का पदेन सचिव होगा, किंतु किन्हीं इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(३) रजिस्ट्रार,—

(एक) कार्यकारी परिषद और कुलपति के समस्त निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा ;

(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति अभिरक्षा में रखेगा जैसा कि कार्यकारी परिषद उसे प्रभार में सुपुर्द करें ;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, संकाय और उसकी किसी समिति की सभी बैठक को बुलाने के लिए समस्त नोटीस जारी करेगा ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, संकाय और किसी समिति की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा ;

(पाँच) कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के कार्यालयीन पत्राचार का संयोजन करेगा ;

(छह) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के बैठकों की कार्यसूची की प्रतिलिपियाँ, यथाशीघ्र जारी करना और प्राधिकरणों के बैठकों के कार्यवृत्त की सामान्यतः बैठक होने के एक महीने के भीतर आपूर्ति करेगा ;

(सात) आपात्काल में उसी समय कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाना, जब न तो कुलपति न ही सम्यक रुप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने के लिए समर्थ है तब और विश्वविद्यालय के कार्य का निर्वहन करने के लिए उसे निर्देश देगा ;

(आठ) कुलपति के लिए उसके कर्तव्यों तथा कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार होगा ; और

(नौ) कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किए जाये ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

(४) किसी कारण के लिए रजिस्ट्रार का पद रिक्त रहने की घटना में, रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अधिकारी को प्रधिकृत करने के लिए कुलपति मुक्त रहेगा जैसा कि कुलपति उचित समझें।

विभागों के प्रमुख।

३०. (१) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभागों के लिए एक प्रमुख होगा।

(२) विभागों के प्रमुखों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और निर्बंधन और सेवा की शर्ते, विनियमों द्वारा विहित की जाये ऐसी होंगी।

वित्त तथा लेखा अधिकारी।

३१. वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर और उपलब्धियों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसा अधिकारी, विनियमों द्वारा अधिकथित किया जाये ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा।

अन्य अधिकारी और कर्मचारी।

३२. (१) इस प्रयोजन के लिए किये गये विनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी, विनियमों द्वारा यथा विहित सेवा की शर्तों से उपवर्णित लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये गये जो विश्वविद्यालय में दर्ज होंगे और उसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को दी जायेगी।

(२) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारियों के बीच संविदा पर कोई विवाद उद्‌भूत होता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय के अनुरोध पर वह की विनियमों द्वारा विहित किये जाये ऐसी कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से बने माध्यस्थम् प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

भविष्य निर्वाह निधि, परिदान और अन्य लाभ।

३३. विश्वविद्यालय के सभी स्थायी कर्मचारी, कार्यकारी परिषद द्वारा उस निमित्त विरचित किये जाये ऐसे विनियमों के अनुसरण में भविष्य निर्वाह निधि, परिदान और अन्य लाभों का लाभ लेने के हकदार होंगे।

विश्वविद्यालय की निधि।

३४. (१) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय निधि नामक एक निधि होगा जिसमें निम्न सम्मिलित होगा,—

(एक) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान ;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान ;

(तीन) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा दिया गया कोई अनुदान ;

(चार) राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा प्राप्त कोई अंशदान ;

(पाँच) किसी वसीयतों, दानों, विन्यासों या निजी व्यक्तिगत या संस्थाओं से प्राप्त अन्य अनुदानों ;

(छह) फीस और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय ; और

(सात) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकमें।

सन् १९३४ का २। सन् १९७० का ५। सन १९८० का ४०। सन् १८८२ का २।

(२) उक्त निधि की रकम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के खंड (ङ) के अर्थान्तर्गत अनुसूचित बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, १९७० या, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९८० के अधीन गठित तत्स्थानी बैंक में रखी जायेगी या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में निवेशित की जाएगी, जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(३) उक्त निधि, विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रित्या जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

वार्षिक लेखा तथा लेखापरीक्षा।

३५. (१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्यकारी परिषदों के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय के लेखे, वर्ष में कम से कम एक बार कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरिक्षकों द्वारा संपरिक्षित किये जायेंगे :

परंतु, राज्य सरकार को, जब कभी आवश्यक हो तों, विनिर्दिष्ट करें ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा, उसके द्वारा प्रबंधित संस्थाओं समेत, विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के निदेश देने की शक्ति होगी।

(३) जब लेखा, लेखापरीक्षित किया जायेगा तब कार्यकारी परिषद द्वारा प्रकाशित किया जायेगा और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित उसकी प्रति, महापरिषद के समक्ष रखी जायेगी और राज्य सरकार को भी उसकी प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

(४) वार्षिक लेखा पर, महापरिषद द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा। महापरिषद उसके संदर्भ के साथ संकल्प पारित करेगी और उसे कार्यकारी परिषद को संसूचित करेगी। कार्यकारी परिषद, महापरिषद द्वारा किये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा कि वह, उचित समझें। कार्यकारी परिषद, उसकी अगली बैठक में उसके द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को या कार्यवाही न की गई उसके कारणों को महापरिषद को सूचित करेगी।

वित्तीय प्राक्कलन।

३६. (१) कार्यकारी परिषद, आगामी वर्ष के लिए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये ऐसे दिनांक के पूर्व वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और महा परिषद के समक्ष उसे रखेगी।

(२) कार्यकारी परिषद, जहाँ उपगत किये जानेवाले बजट में ; उपबंधित रकम के अधिक में व्यय होने के मामले में या शीघ्रता के मामलो में, लिखित में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों के लिये, विनियमो में विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसे निबंधनों और शर्तो के अध्यधीन, व्यय उपगत करेगी। जहाँ ऐसे अधिक व्यय के संबंधी बजट में कोई उपबंध नही किया गया है तो उसकी एक रिपोर्ट, महा परिषद को उसकी अगली बैठक पर दी जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

३७. (१) कार्यकारी परिषद, ऐसी विशेषताओं से अंतर्विष्ट वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जैसा महा परिषद विनिर्दिष्ट करे ऐसा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देगी और विनियमों द्वारा विहित किये जाये ऐसे दिनांक को या के पूर्व उसे महा परिषद को प्रस्तुत करेगी। उसपर महा परिषद संकल्पों को पारित करेगी और कार्यकारी परिषद उसके अनुसरण में कार्यवाही करेगी। महा परिषद को की गई कार्यवाही संसूचित की जायेगी।

(२) उसपर की महा परिषद के संकल्प के साथ की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। राज्य सरकार, उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष उनके अगले प्रारंभ के सत्र में रखेगी।

संविदाओं का निष्पादन।

३८. विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित सभी संविदाएँ, कार्यकारी परिषद द्वारा बनाये जाये ऐसे अभिव्यक्त किया जायेगा, और कुलपति द्वारा जब संविदाओं का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक है और जब उसका मूल्य दस लाख रुपये से अनाधिक है तब रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता।

३९. (१) कोई भी छात्र जब तक वह विनियमों द्वारा विहित किया जाये ऐसी अर्हताओं को धारण नहीं करता है तब तक अध्ययन के पाठ्यक्रम के उपाधि या डिप्लोमा के लिए प्रवेश लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

(२) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की समिति द्वारा संचालित आम विधि विद्यालय प्रवेश परीक्षण (सीएलएटी) के ज़रिये या समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाये ऐसी प्रक्रिया के ज़रिये गुणागुण सूची के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

छात्रों का निवास।

४०. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त या विनियमों द्वारा विहित किये जाये ऐसी शर्तों के अधीन छात्रावास में निवास करेगा।

मानद उपाधि।

४१. यदि, अकादमिक परिषद के दो तिहाई से अधिक सदस्य यह सिफारिश करते है कि किसी व्यक्ति पर प्रदत्त की गई मानद उपाधि या अकादमिक विशेषताएँ इस आधार पर कि वह उनकी राय में ऐसी उपाधि या अकादमिक विशेषताएँ प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट प्राप्ति और स्थिति के कारणों द्वारा उपयुक्त और उचित है तो महा परिषद, संकल्प द्वारा यह विचार करेगी कि सिफारिश किए गये व्यक्ति पर वह प्रदत्त की जाये।

उपाधि या डिप्लोमा का प्रत्याहरण।

४२. (१) महा परिषद, कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को कोई विशेषताएँ, उपाधि, डिप्लोमा या प्रदत्त या मंजूर किए गये विशेषाधिकार महा परिषद की कुल सदस्यता से बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा और महापरिषद के उपस्थित और बैठक में मतदान करनेवाले सदस्यों में से दो-तिहाई से अनून बहुमत द्वारा, यदि ऐसा व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधि के न्यायालय द्वारा सिद्धदोष होता है, जो महा परिषद की राय में, नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है या यदि वह ठोस दूराचरण का दोषी पाया जाता है तो उसका प्रत्याहरण करेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, जब तक उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध प्रस्तावित की गई कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर नहीं दिया जाता है तब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(३) महा परिषद द्वारा पारित किए गये संकल्प की प्रतिलिपि, तत्काल संबंधित व्यक्ति को भेजी जायेगी।

(४) महा परिषद द्वारा किये गये विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकेगी।

(५) ऐसे अपील में कुलाधिपति का निर्णय, अंतिम होगा।

अनुशासन।

४३. (१) विश्वविद्यालय के छात्रों में का अनुशासन बनाये रखने के लिए अंतिम जिम्मेवार प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निर्देशों का पालन विभागों, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा किया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा से छात्र को विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या छात्रावास या संस्था से विवर्जित करने का दंड, कुलपति की रिपोर्ट पर, कार्यकारी परिषद द्वारा विचारार्थ और अधिरोपित किया जायेगा।

परंतु, ऐसा कोई दंड, उसके विरुद्ध की गई प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने के लिये संबंधित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

विनियम।

४४. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद को उसमें निहित सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के प्रशासन और काम का प्रबंध करने के लिए उपबंध करके विनियम बनाने की शक्ति होगी :

परंतु, कार्यकारी परिषद, जब तक ऐसे प्राधिकरण को, प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित राय में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देती है तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के परिनियम, शक्तियाँ या गठन को प्रभावी करनेवाला कोई विनियम नहीं बना सकेगी और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय कार्यकारी परिषद द्वारा विचारार्थ रखी जायेगी ;

परंतु यह कि, अकादमिक परिषद को पूर्व सहमति को छोड़कर, कार्यकारी परिषद, निम्नलिखित किन्हीं या समस्त मामलों को प्रभावी करनेवाले कोई विनियम नहीं बनायेगी, संशोधित नहीं करेगी या निरसित नहीं करेगी, अर्थात् :—

(एक) अकादमिक परिषद का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(दो) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और संबंधित अकादमिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन आयोजित करने के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण ;

(तीन) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टताओं का प्रत्याहरण करना ;

(चार) संकायों, विभागों, छात्र निवास और संस्थाओं की स्थापना और उत्सादन करना ;

(पाँच) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति अध्ययनवृत्ति, प्रदर्शन, पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;

(छह) परिक्षकों की नियुक्ति की शर्ते और ढंग या परिक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रमों का संचालन या स्तर ;

(सात) छात्रों का नामांकन या प्रवेश का ढंग ;

(आठ) विश्वविद्यालय परिक्षाओं के समतुल्य रूप में मान्यताप्राप्त की जानेवाली परिक्षाएँ।

(२) अकादमिक परिषद को इस संबंध में उप-धारा (१) के खंड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट सभी मामलों और अनुषंगिक तथा उससे संबंधित मामलों पर विनियमों को प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(३) जहाँ कार्यकारी परिषद ने अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किये गये विनियम का प्ररूप खारिज किया गया है तो, अकादमिक परिषद, कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति, आदेश द्वारा, निदेश देगा कि प्रस्तावित किये गये उसके अनुमोदन के, लिए महापरिषद की अगली बैठक में, रखे जा सकेंगे और महा परिषद का लंबित ऐसा अनुमोदन, उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसे दिनांक से प्रभावि होगा :

परंतु, यदि ऐसी बैठक में महा परिषद द्वारा विनियम अनुमोदित नही किया जाता है तो वह प्रभावहीन हो जायेगा।

(४) कार्यकारी परिषद द्वारा बनाये जानेवाले सभी विनियम, यथा शक्य शीघ्र, कुलाधिपति के अनुमोदन के लिए और महा परिषद को उसकी अगली बैठक के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे और महा परिषद कार्यकारी परिषद द्वारा बनाये गये किसी विनियम रद्द करने के लिये विद्यमान सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो बहुमत से पारित संकल्प द्वारा और ऐसे विनियम ऐसे संकल्पों के दिनांक से प्रभावहीन होंगे।

विश्वविद्यालय पुनर्विलोकन कमीशन की नियुक्ति।

४५. (१) कुलाधिपति, प्रत्येक पाँच वर्षों में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कार्य के पुनर्विलोकन के लिए कमीशन गठित करेगा और सिफारिशें करेगा।

(२) कमीशन, तीन से अनधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्वान से बनेगा, जिसमें से एक को राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति, द्वारा ऐसे कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

(३) सदस्यों की नियुक्ति के निर्बंधन और शर्तें कुलाधिपति द्वारा अवधारित किया जाये ऐसी होगी।

(४) कमीशन, वह उचित समझें ऐसी जाँच करने के बाद, उसकी सिफारिशें कुलाधिपति को देगी।

(५) कुलाधिपति, वह उचित समझें ऐसी सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही करेगा।

केवल गठन रिक्तियों आदि में त्रुटी के आधार पर कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

४६. (१) विश्वविद्यालय की महा परिषद, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के होते हुए भी, सम्यक् रुप से गठित या किसी भी समय पर उसके गठन या पुनर्गठन में त्रुटि नहीं है और किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता में वहाँ रिक्त होते हुए भी, ऐसा प्राधिकरण या निकाय कोई भी कृत्य या नियम या कार्यवाहियाँ किसी ऐसे आधार या आधारों पर अवैध समझी जायेगी।

(२) विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकरण या निकाय का कोई संकल्प, किसी अनियमितता के कारण किसी सदस्य पर नोटीस तामिल किये जाने के लिए अवैध समझा जायेगा।

परंतु, ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियाँ ऐसी अनियमितता व्दारा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा था।

प्रारंभ पर कठिनाईयों का निराकरण।

४७. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की किसी बैठक से संबंधित या से अन्यथा इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों की प्रथम रुप से प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, कुलाधिपति, किसी भी समय पर, विश्वविद्यालय के गठित सभी प्राधिकरणों के समक्ष आदेश द्वारा या इस अध्यादेश और या विनियमों के उपबंधों से यथाशक्य कोई नियुक्ति कर सकेगा सुसंगत कोई बात कर सकेगा जो कठिनाई निराकरण के लिए उसे आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश इस अधिनियम और विनियमों में उपबंधित रीत्या में यदि कोई नियुक्ति प्रभावी करने की कोई कार्यवाही करता है या की जाती है:

परंतु, ऐसा कोई आदेश बनाये जाने से पूर्व, कुलाधिपति, कुलपति की राय का अभिनिश्चय और विचार करेगा और विश्वविद्यालय का ऐसी समुचित प्राधिकरण गठित किया जायेगा।

अस्थायी उपबंध।

४८. इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्याधीन, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा और विनियमों द्वारा यथा उपबंधित विद्यमान रुप में आता है तब तक प्रयोग या अनुपालन करेगा।

क्षतिपूर्ति।

४९. विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी विनियमों के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक कृत या करने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में नुकसान का दावा नहीं किया जायेगा।

अधिनियम पर अध्यारोही प्रभाव होगा।

५०. इस अधिनियम के उपबंधो और तद्धीन बनाये गये किसी विनियम, तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत में अन्तार्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम से अन्य किसी अनुदान विधि के आधार द्वारा प्रभावी नही होंगे।

प्रायोजित योजनाएँ।

५१. जब-जब विश्वविद्यालय किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या योजनाओं की प्रायोजक अन्य एजेंसियों से निधियाँ प्राप्त होगी तब उसे इस अधिनियम और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्न रुप में विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित किये जाने के लिए।

(एक) प्राप्त की गई रकम, विश्वविद्यालय द्वारा अलग रूप से विश्वविद्यालय निधि में रखी जायेगी और केवल योजना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जायेगी ; और

(दो) योजना को निष्पादित किये जाने हेतु आवश्यक कर्मचारीवृन्द, प्रायोजक द्वारा अनुबद्ध निर्बन्धनों और शर्तों के अनुसार होगी।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

५२. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत नही है ऐसा कार्य कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ५।

५३. (१) महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

सन २०१४ का महा. अध्या. क्र. ५ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

अनुसूची

[धारा ३(१) देखिए]

विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का मुख्यालय
(१)	(२)
१. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई	मुंबई।
२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	औरंगाबाद।
३. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर।	नागपुर।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2014.

THE MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEES) ACT, 2011.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३ मार्च २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2014.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE REGULATION OF COLLECTION OF FEES BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNNECTED THEREWITH AND INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २१ मार्च २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा फीस के संग्रहण के विनियमन के लिये और उससे संबंधित और आनुषंगिक मामलों संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विचार करती है की, शिक्षा का व्यापारीकरण और शैक्षिक संस्थाओ द्वारा मुनाफाखोरी नियंत्रित होनी चाहिये;

और क्योंकी राज्य सरकार चाहती है कि, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा मुनाफाखोरी के जरिए शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये;

और क्योंकी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अत्याधिक फीस् प्रभारित करने की प्रथा राज्य में बढ रही है;

और क्योंकी, इस अवांछनीय प्रथा और शिक्षा के व्यापारीकरण, जिसके परिणामस्वरुप, सराहनीय और निर्धन छात्रो के बीच विफलता आती है, उसकी प्रभावता से रोकने के और शिक्षा के मानक में श्रेष्ठता के अनुरक्षण के दृष्टि के साथ, लोकहित में महाराष्ट्र राज्य में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा फीस् के संग्रहण को विनियमित करना और उससे संबंधित और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना, इष्टकर है; इसलिये, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) अधिनियम, २०११ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यमें होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवर्तमान होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में जब तर कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " अकादमिक वर्ष " का तात्पर्य, सरकार द्वारा या यथास्थिति कोई बोर्ड या परिषद ने जिसे वह विद्यालय संबंध्द हो, ऐसे विनिर्दिष्ट किए गए वर्ष से है।

(ख) "सहायता प्राप्त विद्यालय" का तात्पर्य, सरकार से या संबंधित प्राधिकरण से विद्यालय का व्यय पूरा करने के लिए, आर्थिक या बिना आर्थिक रुप में किसी भी प्रकार का आवर्ती अनुदान या मदद प्राप्त करता है।

(ग) "नियत दिनांक" का तात्पर्य, धारा १ की, उप-धारा (३) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये दिनांक से है।

(घ) "प्रभागीय फीस विनियमन समिती" का तात्पर्य, धारा ७ के अधीन गठित प्रभागीय फीस विनियमन समिती से है।

(ड़) "उप निदेशक" का तात्पर्य, राज्य सरकार की ओर से पदाभिहित किये गये शिक्षा निदेशक या समतुल्य अधिकारी जो शिक्षा निदेशक (प्राथमिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) या राज्य सरकार का कोई भी अन्य निदेशालय में उनके अधीन काम किया हुआ या राज्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा देनेवाले शिक्षा संस्था में पर्यवेक्षण का काम दिया गया राज्य सरकार के उप निदेशक से है।

(च) "अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में डिप्लोमा" का ताप्तर्य, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की और से अनुमोदित अध्यापक शिक्षा डिप्लोमा का प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय से है।

(छ) "निदेशक" का तात्पर्य, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किया हुआ अन्य कोई भी समतुल्य अधिकारी से है और उसमें शिक्षा निदेशक (प्राथमिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक एंव उच्चतर माध्यमिक) या राज्य में अन्य किसी भी स्वरुप में शिक्षा देनेवाली शिक्षा संस्था में पर्यवेक्ष का काम करनेवाले राज्य सरकार के अन्य किसी निदेशालय के निदेशक से है।

(ज) "शिक्षा प्रभाग" का तात्पर्य, राज्य सरकार की ओर से **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित शिक्षा प्रभाग से है।

(झ) "प्रारम्भिक शिक्षा" का तात्पर्य, शिक्षा के प्रथम कक्षा से आठवी कक्षा तक के शिक्षा से है।

(ञ) "कार्यकारी समिति" का तात्पर्य, अध्यापक-अभिभावक संघ के कार्यकारी समिती से है।

(ट) "फीस" का तात्पर्य, धारा ५ और ६ के अधीन नियत स्वरुप के रकम की फीस से है और उसमें,—

(एक) अध्यापन फीस;

(दो) सत्र फीस, जो प्रत्येक सत्र के एक महिने की अध्यापन फीस से कम ना हो;

(तीन) ग्रंथालय फीस और निक्षेप;

(चार) प्रयोगशाला फीस और निक्षप;

(पाँच) व्यायामशाला फीस;

(छह) अवधान द्रव्य;

(सात) परीक्षा फीस;

(आठ) छात्रावास फीस एवं भोजनालय प्रभार;

(नौ) प्रवेश फीस;

स्पष्टीकरण .—छात्र ने जिस विद्यालय में प्रवेश लिया है और जिसमें दसवी कक्षा तक या उससे निम्न कक्षा तक शिक्षा की सुविधा है, उस विद्यालय में दसवी तक या उससे निम्न कक्षा तक छात्र को फीर से फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

(दस) कोई पाठ्यक्रम या सह-पाठ्यक्रम के मद जैसे कि विहित की गई देय रकम या सुरक्षा रकम के रुप में निक्षेप है,

(ठ) "सरकार" का तात्पर्य राज्य सरकार या, यथास्थिति केंद्र सरकार से है।

(ड) "सरकारी विद्यालय" : का तात्पर्य, सरकार या स्थानिक प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व में, स्थापित और पोषित विद्यालय से है।

(ढ) "स्थानिय प्राधिकरण" का तात्पर्य,—

(एक) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिती अधिनियम १९६१ के अधीन गठित जिला परिषद से संचालित शिक्षण संस्था से संबंधित जिला परिषद से है। सन १९६२ का महा. ५

(दो) बंबई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, १९४९ या नागपूर नगर निगम अधिनियम, अधिनियम १९४८ के अधीन मुंबई नगर निगम अधिनियम के अधीन गठित नगर निगम से प्रबंधित शिक्षा संस्था संबंधित नगर निगम से है। सन १८८८ का मुंबई ३। सन १९४९ का मुंबई ५९। सन १९५० का मध्य प्रान्त तथा बरार २।

(तीन) **नगर पंचायत** या औद्योगिक नगर-क्षेत्र अधिनियम, १९६५ के अधीन गठित नगर परिषद, **नगर पंचायत** या, यथास्थति, औद्यगिक नगर-क्षेत्र द्वारा प्रबंधित शिक्षा संस्था से संबंधित महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत या औद्योगिक नगर-क्षेत्र से है। सन १९६५ का महा. ४०।

(चार) अन्य किसी विधि के अधीन, स्थानिय प्राधिकरण के स्वरुप में समझे गये किसी अन्य प्राधिकरण से है।

(ण) "प्रबंधन" का तात्पर्य,—

(एक) सरकार द्वारा, प्रबंधित विद्यालय के मामले में सरकार से है।

(दो) स्थानिय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित विद्यालय के मामले मे स्थानिय प्राधिकरण से है।

(तीन) अन्य किसी मामले में जिस विद्यालय का कारोबार सौंपा गया है ऐसी प्रबंधन समिति या शासी निकाय चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए या जहाँ ऐसा कारोबार किसी व्यक्ती के पास सौंपा गया है, चाहे जो भी नाम या पदनाम से बुलाया जाए, उसमें ऐसी व्यक्ति सम्मिलित है।

(त) " अल्पसंख्याक शैक्षिक संस्था " का तात्पर्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३० का खंड (१) के अधीन इस प्रकार का शैक्षिक संस्था स्थापित और प्रशासित करने का हक होनेवाले अल्पसंख्याक द्वारा स्थापित और प्रशासित सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था से है।

(थ) " पालक अध्यापक संघ " का तात्पर्य, धारा ४ के अधीन गठित पालक-अध्यापक संघ से है।

(द) " पूर्व–प्राथमिक विद्यालय " का तात्पर्य, विहित रित्या संलग्न ३ से ६ तक की उम्र के बालकोंके लिए, चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, किसी भी माध्यम की नर्सरी, निम्नस्तर बाल विहार, उच्चतर बाल विहार, किसी भी स्तर तक शिक्षा देनेवाला पूर्व प्राथमिक विद्यालय है. लेकिन उसमे शिशुगृह सम्मिलित नहीं होगा।

(ध) " विहित " का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित से है।

(न) " निजी शैक्षिक संस्था " का तात्पर्य, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के प्रबंधन के साथ विद्यालय या अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय चलानेवाला कोईभी निजी प्रबंधन से है।

(प) " मुनाफाखोरी " का तात्पर्य नगद या अन्य रुप मे स्विकृत रकम जो नियत फीस का उल्लंघन है या इस अधिनियम के उपबंधो के अनुमोदन का उल्लंघन हे ऐसी रकम से है।

(फ) " पुनर्विलोकन समिती " का तात्पर्य धारा ११ के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिती से है।

(ब) " नियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है।

(भ) " विद्यालय " का तात्पर्य, है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संचालित किसी भारतीय या परदेशी पाठ्यक्रम या बोर्ड से संलग्न किसी भी प्रबंधन मे पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करनेवाला विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या कनिष्ठ विद्यालय जो अनुदान पात्र, अंशतः अनुदान पात्र, विना अनुदान पात्र या स्थायी रुप में. विनाअनुदान पात्र से है, जो किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाद्वारा चलाया जाता हो, लेकिन इसमे केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करनेवाले विद्यालय सम्मिलित नही होंगे।

अध्याय दो

अधिक फिस इकठ्ठा करने पर प्रतिषेध एवं फीस का अवधारण

ज्यादा फीस इकठ्ठा करने पर प्रतिषेध।

३. कोई भी विद्यालय स्वयं के या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत या अनुमोदित फीस से अधिक रकम इकठ्ठा नहीं करेगा।

अभिभावक-अध्यापक संघ।

४. (१) (क) प्रत्येक निजी विद्यालय, अभिभावक-अध्यापक संघ गठित करेगा।

(ख) विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के शुरुआत में तीस दिन के अंदर अभिभावक-अध्यापक संघ स्थापित किया जाएगा। विद्यालय के हर एक छात्र के अभिभावक इस अभिभावक-अध्यापक संघ के सदस्य होंगे और शहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक पचास रुपए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बीस रुपए इतनी रकम संघ के प्रत्येत सदस्य की ओर से इकठ्ठा की जायेगी।

(ग) अभिभावक-अध्यापक संघ संरचना होने पर कार्यकारी समिती गठित करने के लिए, प्रत्येक कक्षा को उसमें प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रत्येक कक्षा के छात्र के इच्छुक पालको में से लॉटरी पद्धति से निकालकर समिति के सदस्यों की नियुक्ति होगी और ऐसे लॉटरी पद्धति की नोटीस एक सप्ताह पहले अभिभावक-अध्यापक संघ के सदस्योंको दी जाएगी।

(२) (क) कार्यकारी समिति का गठन ऐसे होगा,—

(१) अध्यक्ष - प्राचार्य या प्रधानाध्यापक।

(२) उपाध्यक्ष - अभिभावकों के बीच में से एक।

(३) सचिव - अध्यापकों के बीच में से एक।

(४) दो संयुक्त सचिव - अभिभावकों के बीच में से दो।

(५) सदस्य - प्रत्येक कक्षा में से एक अभिभावक और एक अध्यापक।

(ख) कार्यकारी समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य विहित रित्या से चक्रानुक्रम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछडे वर्ग नागरिकों में से होगा और कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

(ग) कार्यकारी समिति के सदस्यों के नामों की सूची की संरचना होने के बाद, पंद्रह दिन के अंदर सूचना फलक पर प्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति तुरंत संबंधित शिक्षा अधिकारी के पास भेज दी जाएगी।

(घ) अभिभावक-अध्यापक संघ के कार्यकारी समिति की पदावधि एक अकादमिक वर्ष की होगी और कार्यकारी समिति की संरचना के बाद तीन वर्ष तक उसका कोई भी सदस्य, लॉटरी पद्धति से चयन में हिस्सा लेने के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यह कि, जहाँ विद्यालय में केवल दो ही अध्यापक है, वहाँ खंड (क), उप-खंड (१) (३) और (५) के बारे में अध्यापक सदस्यों के चयन के लिए तीन वर्ष के कालावधि की शर्तें लागू नही होंगी।

(ङ) कार्यकारी समिति की, तीन महिने में एक से कम एक बार बैठक होगी। कार्यकारी समिति की बैठक के संचालन की प्रक्रिया विहित किया जाये ऐसी होगी।

(च) अभिभावक-अध्यापक संघ की प्रत्येक वर्ष के १५ अगस्त के पूर्व एक साधारण बैठक होगी। पालक-अध्यापक संघ के बैठक के संचालन की प्रक्रिया जैसा कि विहित किया गया हो ऐसी होगी। अभिभावक-अध्यापक संघ इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्य और कार्य और जैसा कि विहित किया गया हो, कृत्यों का निर्वहन करेगी।

सरकारी विद्यालयों और मान्यताप्राप्त विद्यालयों की फीस का विनियमन।

(५) सरकारी विद्यालय और मान्यताप्राप्त विद्यालय के फीसों का विनियमन करने के लिए, सरकार सक्षम होगी। फीस, सरकार द्वारा अवधारित ऐसी रित्या में नियत की जाएगी।

निजी बिना मान्यताप्राप्त विद्यालय और स्थायी रूप में बिना मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के फीस का विनियमन।

(६) (१) निजी असहायता प्राप्त विद्यालय और स्थायी रूप में असहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबंधन, ऐसे विद्यालयों की फीस प्रस्तावित करने के लिए सक्षम होंगा।

(२) कार्यकारी समिति की संरचना होने पर, महाविद्यालय का प्रबंधन, संबंधित अभिलेख के साथ प्रस्तावित फीस की विस्तृत जानकारी कार्यकारी समिति को उनके अनुमोदन के लिए, अगले अकादमिक वर्ष के प्रारंभण से कम से कम छ महिने पहले प्रस्तुत करेगी। अनुमोदन देते समय नवीन फीस की रकम नियत करने के प्राधिकार कार्यकारी समिति को होंगे।

(३) धारा ९ में अधिकथित संबंधित सभी घटकोंपर विचार करने के बाद कार्यकारी समिति उप-धारा (२) के अधीन प्रस्तावित फीस और अभिलेख प्राप्त होने के पंद्रह दिन के अंदर फीस को अनुमोदन देगी और फीस के अनुमोदन की विस्तृत जानकारी तत्काल लिखित रूप में प्रबंधन को देगी। कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित फीस की विस्तृत जानकारी मराठी, इंग्रजी और संबंधित विद्यालय के माध्यम में सूचना फलक पर प्रदर्शित की जाएगी और अगर विद्यालय का संकेतस्थल (वेबसाईट) हो तो विद्यालय संकेतस्थल (वेबसाईट) पर प्रदर्शित करेगा और वह दो अकादमिक वर्ष के लिए बंधनकारक होगा।

(४) यदि कार्यकारी समिति, उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर फीस का विनिश्चय करने में असफल होती है तो प्रबंधक जैसा की विहित किया जाए ऐसी रित्या में कार्यकारी समिति को सूचित करके प्रभागीय फीस विनियामक समिति के यह घटक उनके विनिश्चय के लिए तुरंत पहुँचा देगी। विचारार्थ प्रस्तुत घटक के अनिर्णित कालावधि के दौरान विद्यालय के प्रबंधन की प्रभागीय फीस विनियामक समिति का अंतिम निर्णय होने तक, पूर्ववर्ती अकादमिक वर्ष की फीस में पंद्रह प्रतिशत बढाकर फीस इकट्ठा करने का स्वातंत्र्य रहेगा।

(५) यदि प्रबंधन द्वारा विनिश्चित फीस और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित फीस में अगर पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा अंतर न हो तो उप-धारा (३) अधीन कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चित फीस का स्वीकार करना प्रबंधन पर बंधनकारक होगा। और अगर फीस का अंतर पंद्रह प्रतिशत ज्यादा हो तो प्रबंधन को उप-धारा (३) के अधीन ऐसी सूचना मिलने के बाद तीस दिन के अंदर जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रित्या में विभागीय फीस विनियामक समिति के पास अपील दाखील कर सकते है :

परंतु ऐसे अपील या संदर्भ को तीस दिनोंकी समाप्ती के बाद प्रभागीय फीस समिति ग्रहण करती है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील या संदर्भ को समय के भीतर प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण उनके पास थे।

(६) (क) प्रभागीय फीस विनियामक समिति, अपील या निर्देश का विनिश्चय उसके दाखिल करने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, यथासंभव, विरुद्ध वक्षकार को सुनवाई का अवसर देने पश्चात् करेगी।

(ख) अपील या निर्देश विनिश्चित करते समय, प्रभागीय फीस विनियामक समिति, प्रबंधमंडल द्वारा प्रस्थापित फीस या कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित फीस पर कोई रोक मंजूर नहीं करेगी।

(ग) अपील या निर्देश में विनिश्चय पर, प्रभागीय फीस विनियामक समिति संबंधित छात्रोंको अधिकतम फीस वापस करने के लिये समुचित आदेश जारी करेगी। ऐसे छात्रों को अधिकतम फीस वापस करनेमें प्रबंधमंडल असफल होने के मामले में, प्रभागीय फीस विनियामक समिति, प्रबंधमंडल से ऐसी अधिकतम फीस भू-राजस्व के अधिशेष के रुप में वसूल करने की कार्यवाही करेगी और ऐसे छोत्रों को उसीका भूगतान करेगी।

(घ) अपील या निर्देश में प्रभागीय फीस विनियामक समिति का विनिश्चय, सबंधित विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगी, और यदि ऐसे विद्यालय की उसकी अपनी वेबसाईट होगा, तो प्रबंधमंडल द्वारा वह उसी पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(७) अपील या निर्देश में प्रभागीय फीस विनियामक समिति के विनिश्चय द्वारा व्यथित प्रंबध मंडल या कार्यकारिणी समिति, ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी, ऐसी रित्या में जैसा कि विहित किया गया हो।

प्रभागीय फीस विनियामक समिति का गठन।

७. (१) सरकार, **राजपत्र** मे अधिसूचना द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक प्रभाग के लिये प्रभागीय फीस विनियामक समिति गठित करेगी।

(२) प्रभागीय फीस समिति निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

(क) उच्च न्यायालय के साथ परामर्श मे सरकार द्वारा नामनिर्देशित, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधिश.	. . अध्यक्ष
(ख) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रभागीय अध्यक्ष.	. . सदस्य।
(ग) चार्टर्ड अकाउण्टेंड या लागत तथा कार्य लेखापाल	. . सदस्य।
(घ) शालेय शिक्षा केंद्रीय बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा भारतीय प्रमाणपत्र या किन्हीं शैक्षणिक संस्थासे प्रत्यक्ष या परोक्ष ना जुडे हुये अन्य किसी बोर्ड के सेवानिवृत्त प्रमुख, या सरकार के शिक्षा संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का सेवानिवृत्त अधिकारी।	. . सदस्य।
(ङ) प्रादेशिक शिक्षा उप-निदेशक	. . पदेन सदस्य सचिव।

(३) उप-धारा (२) के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति , चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(४) राज्य सरकार, प्रभागीय फीस विनियामक समिति के लिये एक चयन समिति गठित करेगी, जो निम्न से मिलकर बनेगी अर्थात :—

(क) पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष . . अध्यक्ष

(ख) विधि तथा न्याय विभाग का प्रभारी सचिव . . सदस्य।

(ग) शालेय शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव . . सदस्य।

परंतु, जहाँ पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष, अनुपस्थिति या अन्य कारण द्वारा, चयन समिति के अध्यक्ष के रुप में कृत्य करने में असमर्थ है तो, धारा ११ की उप-धारा (२) के परंतुक के अधीन, ऐसे कृत्य करनेवाला अध्यक्ष, अध्यक्ष के रुप मे कार्य करेगा।

प्रभागीय फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि।

८. (१) प्रभागीय फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, उनके नामनिर्देशन के दिनांक से तीन वर्षोंकी अवधि के लिए होगी तथा किसी कारणवश पूर्व रिक्ति उद्‌भूत होने के मामले में, ऐसी रिक्ति कार्यकाल के शेष भाग की अवधि के लिये भरी जायेगी।

(२) प्रभागीय फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

(३) अध्यक्ष या सदस्य सरकार को लिखित मे पद से पदत्याग कर सकेगा और ऐसे पदत्याग की स्वीकृति पर, उसका पद रिक्त होगा और रिक्ति की उद्‌भूती के दिनांक से तीन महिनों की अवधि के भीतर भरी जायेगी।

(४) समिति का अध्यक्ष या सदस्य, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है जो, सरकार की राय में, ऐसी समिति के अध्यक्ष या सदस्य बनने के न हो, हटाया जायेगा। अध्यक्ष या सदस्य जिसे हटाया गया है ऐसी समिति पर पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परंतु, कोई अध्यक्ष या सदस्य प्रभागीय फीस् विनियामक समिति से उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना हटाया नही जायेगा।

(५) प्रभागीय फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाये।

(६) व्यक्ति, प्रभागीय फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिये निरर्ह होगा, यहि ऐसा व्यक्ति,—

(क) ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है तथा कारावास का दण्डादेश दिया गया है, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; या

(ख) अनुन्मोधित दिवालीयाँ हो ; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्‌वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) सरकार की या सरकार द्‌वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगमित निकाय की नौकरी से हटाया या निलंबित किया गया हो ; या

(ड) सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है जो अध्यक्ष या सदस्य के रुप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ; या

(च) ऐसी अन्य निरर्हता धारण करता हो, जैसा कि विहित किया जाये ; या

(छ) किसी शैक्षणिक संस्थामें कोई पद या स्थान धारण करता हो या किसी मार्ग से संबंधित हो।

फीस निर्धारण की बातें।

९. (१) विद्यालय द्वारा उद्गृहित फीस निश्चित करने के दौरान निम्न बातें विचार में ली जायेंगी, अर्थात :—

(क) विद्यालय का स्थान ;

(ख) गुणात्मक शिक्षा के लिये छात्रों को उपलब्ध कराये गये भौतिक साधन, उपबंधित सुविधायें, विद्यालय की विवरण-पत्रिका या वेबसाईट में उल्लिखित सुविधाय ;

(ग) विद्यालय के शैक्षिक मानक जैसा कि राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण ने विहित किये हो ;

(घ) प्रशासन और रखरखाव पर का व्यय ;

(ड़) अनिवासी भारतीय, प्रबंध मंडल के द्वारा पूर्त के अंश के रुप में और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति छात्रोंके लिये फीस में फीस-माफी उपबंधित करने के लिये या विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन अन्य मदों के लिये सरकार द्वारा अंशदान से उत्पादित अधिकतम निधि ;

(च) मानकों के अनुसार अर्हित शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी और उनके वेतन के घटक ;

(छ) वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये समुचित रकम ;

(ज) विद्यालय के कुल आय से छात्रों पर उपगत व्यय तथा छात्रों के गुणात्मक विकास के लिये समुचित अधिशेष ;

(झ) कोई अन्य कारण जैसा कि विहित किया गया हो।

(२) प्रभागीय फीस विनियामक समिति, विभिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उद्गृहीत की जायेगी।

(३) प्रत्येक निजी विद्यालय जिसने प्रभागीय फीस विनियामक समिती के समक्ष अपील की है, अपील में निर्णय की प्रति उनके सूचना पट्ट पर और ,यदि ऐसे विद्यालय की वेबसाईट हो तो उनकी वेबसाईट पर लगायेगी।

प्रभागीय फीस विनियामक समिति की शक्तियाँ और कृत्य।

१०. (१) प्रभागीय फीस विनियामक समिति की शक्तियाँ और कृत्य, विद्यालय प्रबंध मंडल तथा अभिभावक-शिक्षकों के बीच छात्रों से विद्यालय प्रबंधमंडल द्वारा प्रभारीत की जानेवाली फीस से संबंधित विवाद न्यायनिर्णित करने होंगे।

(२) प्रभागीय फीस विनियामक समिति, किसी शैक्षिक संस्था या ऐसे विद्यालय के प्रबंधमंडल अंग के किसी परिसर में प्रवेश के लिये प्राधिकृत कर सकेगी, यदी प्रभागीय फीस विनियामक समिति ऐसा आवश्यक समझे, और ऐसे विद्यालय या प्रबंधमंडल के अंग हो ऐसे किन्हीं अभिलेखों, लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों की खोज, निरीक्षण, और अभिग्रहण करेगी, जहाँ तक में ऐसे अभिलेख, लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उक्त समिति के पूर्व के वादों को निर्णित करने को आवश्यक और संबंधित हों। दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के खोज और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन खोज और अभिग्रहण को लागू होंगे।

सन् १९७४ का २।

(३) प्रभागीय फीस विनियामक समिति, उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये, उसकी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी और इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिये, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन, निम्न मामलों से संबंधित, वाद करते समय उसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

१९०८ का ५।

(एक) किसी साक्षी का समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी जाँच करना ;

(दो) किन्हीं दस्तावेज की खोज और पेश करना ;

(तीन) साक्ष्य को शपथ-पत्र पर ग्रहण करना ;

(चार) साक्षी के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना।

(४) कोई न्यायिक आदेश, अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे प्रभागीय फीस विनियामक समिति द्वारा मंजूर नहीं किया जायेगा। प्रभागीय फीस विनियामक समिति का आदेश उसके समक्ष की कार्यवाही के पक्षकारों पर दो अकादमिक वर्षों के लिये बाध्यकारी होगा। इस अधिनियम के अधीन गठित पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपिल के रुप के अलावा, किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा।

(५) विवाद मिटाने के समय, प्रभागीय फीस विनियामक समिति, विद्यालय प्रबंधमंडल द्वारा अभिनिर्धारित फीस की कोई अन्तरिम रोक मंजूर नहीं करेगी। अपील में निर्णय या संदर्भ पर प्रभागीय फीस विनियामक समिति संबंधित विद्यार्थियों को अधिकतम फीस के प्रतिदाय के लिये समुचित आदेश मंजूर कर सकेगी। ऐसे छात्रों को अधिकतम फीस के प्रतिदेय में प्रबंधमंडल के विफल होने के मामले में, प्रभागीय फीस विनियामक समिति, भू–राजस्व के बकाया के रुप में प्रबंधमंडल से ऐसी अधिकतम फीस वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगी और ऐसे छात्रों को उसी का भूगतान कर सकेगी।

(६) प्रभागीय फीस विनियामक समिति, निजी विद्यालयों द्वारा उद्गृहीत फीस के अभिनिर्धारण पर संबंधित पक्षकार को उसके निर्णय संसूचित करेगी।

(७) प्रभागीय फीस विनियामक समिति विभिन्न शीर्ष उपदर्शिक करेगी जिसके अधीन फीस उद्गृहीत की जायेगी।

(८) प्रभागीय फीस विनियामक समिति द्वारा मंजूर आदेश निजी विद्यालयों पर दो अकादमिक वर्षों के लिये बाध्यकारी होंगे। उक्त अवधि की समाप्ति पर, निजी विद्यालय, को इस अधिनियम के अधीन अधिकथित कार्यवाही के अनुसरण द्वारा, उनकी फीस संरचना में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होगी।

पुनरीक्षण समिति का गठन।

११. (१) सरकार, **राजपत्र** मे अधिसूचना द्वारा, राज्य में एक पुनरीक्षण समिति गठित करेगी, जिसमें निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) उच्च न्यायालय के साथ परामर्श में सरकार द्वारा नामनिर्शित, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधिश ; : अध्यक्ष

(ख) शिक्षा निदेशक का पद या समतुल्य पद धारण करनेवाला काई सेवानिवृत्त व्यक्ति या विद्यालय शिक्षा केंद्रीय बोर्ड या भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र या अन्य ऐसे बोर्डों के निवृत्त प्रमुख ; : सदस्य

(ग) चार्टर्ड एकाउण्टंट या लागत तथा कार्य लेखापाल ; : सदस्य

(घ) शिक्षा संयुक्त निदेशक (माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक), शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे। : पदेन सदस्य-सचिव।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष : अध्यक्ष

(ख) विधि तथा न्याय विभाग का प्रभारी सचिव : सदस्य

(ग) विद्यालयीन शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव : सदस्य।

परंतु, जहाँ पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष, अनुपस्थिति या अन्य के कारण, पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष के रुप में कार्य करने में असफल है तो, राज्य सरकार, अध्यक्ष के रुप में कार्य करने को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिश के नामनिर्देशन के लिये, मामला उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकेगी।

प्रभागीय फीस् विनियामक समिति के कतिपय उपबंधों का पुनरीक्षण समिति को लागू होना।

१२. (१) धारा ६, धारा ८ की उप-धारा (६) और धारा १० की उप -धारायें (२) से (७), **यथावश्यक परिवर्तन समेत**, पुनरीक्षण समिति को लागू होंगी।

(२) पुनरीक्षण समिति का निर्णय, अंतिम और निश्चायक होगा और पक्षकारों पर दो अकादमिक वर्षो के लिये बाध्यकारी होगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर, निजी विद्यालय को धारा ६ में अधिकथित कार्यवाही के अनुसरण द्वारा उनकी फीस संरचना में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होगी।

१३. प्रभागीय फीस विनियामक समिति या पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष या सदस्य या उसके कोई अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा बनाये गये आदेश के पालन के लिये या सद्भावनापूर्वक कृत करने या करने के आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

अध्याय–तीन

लेखाओं का विनियमन और अभिलेखों का रखरखाव

लेखाओं का विनियमन।

१४. सरकार, निजी शैक्षिक संस्थाओ द्वारा विहित किये गये रीत्या में लेखाओं के रखरखाव का विनियमन करेगी।

अभिलेखों का रखरखाव।

१५. निजी शैक्षिक संस्थाये ऐसे अभिलेखों का रखरखाव करेगी और ऐसी रित्या में जैसा की विहित किया गया हो।

अध्याय–चार

अपराध और शास्तियाँ।

अपराध और शास्तियाँ।

१६. (१) जो कोई भी, इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है तो, दोष सिद्धि पर,—

(क) प्रथम अपराध के लिये, जो एक लाख रुपए से कम न हो और जो पाँच लाख रुपये तक बढाया जा सके या इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित फीस के अधिकतम जितनी रकम ली गई होगी उससे दुगनी, जो कोई भी अधिक हो, जुर्माने से दण्डित किया जायेगा ;

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये, जो दो लाख रुपये से कम न हो किंतु, जो दस लाख रुपये तक बढाया जा सके या इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित फीस के अधिकतम जितनी रकम ली गई है, उससे दुगनी, जो कोई भी अधिक हो, जुर्माने से या तीन महिने से कम न हो किंतु छह महिने तक बढाया जा सके ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डित किया जायेगा।

(२) जो व्यक्ति इस धारा के अधीन दोषसिद्ध है, इस अधिनियम के उल्लंघन में उस छात्र को अधिकतम रकम वापिस कर सकेगा जिससे यह जमा की गई थी।

(३) व्यक्ति जो इस अधिनियम का या तद्धीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति करता है, किसी भी प्रबंधमंडल या यतास्थिति, विद्यालय में कार्यालय का पद धारण करने के लिये अपात्र होगा।

प्रबंधमंडल द्वारा अपराध।

सन् १९७४ का २।

१७. (१) जहाँ अपराध इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रबंधमंडल द्वारा किया गया हो, प्रत्येक व्यक्ती, जो, जिस समय अपराध घटित हुआ था, प्रभारी था, और प्रबंधमंडल के कारोबार साथ ही साथ प्रबंधमंडल के आचार के लिये प्रबंधमंडल का जिम्मेवार था, अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा और तदनुसार, विरुद्ध की कार्यवाही को दायी होगा और दण्डित किया जायेगा :

परंतु, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट न हो ऐसे कोई, किसी व्यक्ति को किसी सजा को दायी बना सकेगा, यदी वह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने में सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, प्रबंधमंडल द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया हो और यह साबित किया गया है की, अपराध सम्मति या मौनानुकुलता के साथ या प्रबंधमंडल के किसी पदधारक या अधिकारी या सेवक के अंश पर किसी उपेक्षा के फलस्वरुप माना गया है, ऐसे संबंधित पदधारक, अधिकारी या सेवक उस अपराध के दोषी समजे जायेंगे और तद्नुसार, विरुद्ध की कार्यवाही को दायी समझा जायेगा और दण्डित किया जायेगा।

अपराधों का प्रशमन।

१८. (१) दंण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस निमित्त सरकार द्वारा विशेष रुप से प्राधिकृत कोई अधिकारी द्वारा धारा १६ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, इस अधिनियम के अधीन या तो कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने के पूर्व या बाद में अपराध के संयोजन के मार्ग द्वारा ऐसे अपराध के आरोपित किसी व्यक्ति की स्वीकृति द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन दंडनीय अपराध के लिए राशि अधिकतम जुर्माने की रकम से कम नहीं होगी तथा अधिकतम जुर्माने की रकम दुगनी रकम से अधिक नहीं होगी : सन् १९७४ का २।

परंतु, अत्यधिक फिस के प्रभारित अपराध की दशा में, ऐसी राशि अत्याधिक रुप से प्रभारित रकम के दुगनी रकम से कम नहीं होगी या पाँच लाख रुपये जो भी अधिक है।

(२) उप-धारा (१) की कोई भी बात किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो उसके द्वारा किए गए प्रथम अपराध के प्रशमन के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर, वही या उसी प्रकार का अपराध करता है।

(३) जहाँ कोई अपराध उप-धारा (१) के अधीन प्रशमित किया गया है, उसी अपराध के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा यदी पहले से ही कोई कार्यवाही की गई है तो उपशमित की जायेगी और अभियुक्त, यदी अभिरक्षा में हो तो तत्काल उन्मोक्त किया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान।

१९. कोई भी न्यायालय, सरकार या ऐसे अधिकारी इस निमित्त सरकार ने प्राधिकृत किये गये शिक्षा उप-संचालक की अनिम्न श्रेणी का नहीं है की मंजूरी को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के संज्ञान नहीं करेगा।

अपराध संज्ञेय होंगे।

२०. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

अध्याय ५

विविध

निर्देशों को जारी करने की शक्ति।

२१. राज्य सरकार, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के साथ ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश किसी शिक्षा संस्था को जारी कर सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए या उसमें अंतर्विष्ट किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए आदेशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है या इष्टकर है और शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन, ऐसे प्रत्येक निर्देश का अनुपालन करेगा।

नियमों को बनाने की शक्ति।

२२. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, रखा जाएगा, और यदि, उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए और ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम ऐसी अधिसूचना के दिनांक

से ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, या, तथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा; तथापि., ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अधिनियम अतिरिक्त में और किसी अन्य अधिनियम में अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा।

२३. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के लिए अतिरिक्त में और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

कठिनाई निराकरण की शक्ति।

२४. (१) यदी, इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2014.

THE MAHARASHTRA MONEY-LENDING (REGULATION) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २ अप्रैल २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2014.

AN ACT TO REGULATE THE TRANSACTIONS OF MONEY-LENDING IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ४ अप्रैल २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में साहूकारी के संव्यवहारों का विनियमन विधेयक करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य में साहूकारों के हाथों बढते उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप किसानों द्वारा लगातार आत्महत्याएँ करने में बढ़ोत्तरी हो रही थी ;

और क्योकि साहूकारी पर विद्यमान अधिनियमितियाँ किसानों-ऋणकों का संरक्षण करने में और साहूकारों द्वारा किये जानेवाले उत्पीड़न से उन्हें रोकने के लिए अपर्याप्त पायी गयी थी।

और क्योंकि साहूकारों के हाथों से होनेवाले किसानों ऋणकों के उत्पीड़न को प्रभावी रूप से रोकने के लिए समुचित और मजबूत सामाजिक और कानूनी उपायों के लिए ऐसी परिस्थिति बनाना सही मायने में सरकार को आवश्यक हुआ था; अत: महाराष्ट्र राज्य में साहूकारों के संव्यवहारो के विनियमन और नियंत्रण के लिए बेहतर उपबंधोंवाली एक नई विधि बनाना इष्टकर समझा गया था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए एक नई विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र साहूकारी विनियमन अध्यादेश, २०१४, १६ जानेवरी २०१४ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में, बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, २०१४ कहलाये ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह १६ जनवरी २०१४ से प्रवृत्त हुआ समझा जएगा ।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

सन् १९४९ का १०।

(१) " बँक " का तात्पर्य, ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक से है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ लागू होता है और इसमें,—

सन् १९५५ का २३।

(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५५ के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

सन् १९५९ का ३८।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, १९५९ में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक;

सन् १९७० का ५।

(ग) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७०, या, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९८० के अधीन गठित तत्स्थानी नई बैंक ; और

सन् १९८० का ४०।

सन् १९४९ का १०।

(घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५१ में निर्दिष्ट किसी अन्य बैंककारी कंपनी से है।

सन् १९४९ का १०।

(२) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५ के खंड (ग) यथा समनुदेशित उसी अर्थान्तर्गत " बैंककारी कंपनी " से है;

(३) " साहूकारी का कारोबार " का तात्पर्य, अग्रिम कर्ज, चाहे वह नगद या वस्तुरूप में हो और चाहे वह किसी अन्य कारोबार से संबंधित या के अतिरिक्त हो या न हो, देने के कारोबार से है;

(४) " पूंजी " का तात्पर्य, ऐसी धन-राशि से है जिसे साहूकारी के कारोबार में साहूकार निवेश करता है;

सन् १९५६ का १।

सन् २०१३ का १८।

(५) " कंपनी " का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, १९५६ या कम्पनी अधिनियम, २०१३ में यथा परिभाषित कंपनी से है;

(६) " सहकारी बँक " " सहकारी संस्था " " बहूउद्देशीय सहकारी संस्था " और " प्राथमिक क्रेडिट संस्था " का तात्पर्य, बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५६ के खंड (ग) द्वारा उन्हे यथा समनुदेशित अर्थान्तर्गतसे है;

सन् १९४९ का १०।

(७) " कर्जदार " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसे चाहे नगद या वस्तुरुप में अग्रिम कर्ज दिया गया है और इसमें ब्याज या प्रतिभूति में उसका उत्तराधिकारी शामिल होगा;

(८) " निरीक्षण फीस " का तात्पर्य, साहूकारों की लेखा बहियों के निरीक्षण के संबंध में धारा १२ के अधीन उद्ग्रहणीय फीस से है;

(९) " ब्याज " में, कर्ज के संबंध में प्रतिफलस्वरूप या अन्यथा साहूकार को मूल धन के अतिरिक्त अदा की गई या देय कोई रकम, चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाए सम्मिलित होगी, किन्तु इसमें इस अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में, साहूकार द्वारा लागत, प्रभार या खर्च के लिए या के संबंध में विधिपूर्वक प्रभारित कोई रकम इसमें शामिल नहीं होगी;

(१०) " ब्याज " का तात्पर्य, साहूकार द्वारा साहूकारी के कारोबार में, समय-समय पर निवेश की गई कुल रकम से है;

(११) " लाइसेंस " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किये गये लाइसेंस से है;

(१२) " लाइसेंस फीस " का तात्पर्य, लाइसेंस के बारे में देय फीस से है;

(१३) " कर्ज " का तात्पर्य, फ्रय्याज पर, चाहे धन या वस्तुरूप में दिये जानेवाले अग्रिम से है, किन्तु, इसमें,—

(क) सरकारी डाकघर, बैंक या किसी अन्य बैंक में या किसी कम्पनी या सहकारी संस्था में धन या अन्य सम्पत्ति जमा करना;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० या सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त उद्देश्य से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था या संघ को या के द्वारा या के पास जमा कोई कर्ज; सन् १८६० का २१।

(ग) सरकार द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया अग्रिम कर्ज;

(घ) सरकारी कर्मचारियों के कल्याण या सहायता के लिए स्थापित निधि में से सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया अग्रिम कर्ज;

(ङ) किसी सहकारी संस्था के पास धन जमा करना या द्वारा दिया गया अग्रिम कर्ज;

(च) भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता को या जमाकर्ता को निधि के नियमों के अनुसार निधि में उसके नाम जमा रकम में से दिया गया अग्रिम;

(छ) बीमा अधिनियम, १९३८ में यथा परिभाषित बीमा कंम्पनी को या के द्वारा दिया गया कर्ज; सन् १९३८ का ४।

(ज) बैंक को या के द्वारा दिया गया कर्ज;

(झ) उस अधिनियम के अनुसरण में कोई कर्ज या अग्रिम अनुदत्त करनेवाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम (जो ऐसी निकाय हो जो इस खण्ड के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन न आती हो) को या के द्वारा दिया गया या के पास जमा कर्ज;

(ञ) वचनपत्र से अन्य, परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ में यथा परिभाषित परक्राम्य लिखत के आधार पर दिया गया तीन हजार रुपये से अधिक किसी रकम का अग्रिम; सन् १८८१ का २६।

(ट) हुंडी के आधार पर दिया गया (अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में लिखित) तीन हजार रुपये से अधिक किसी रकम का अग्रिम;

(ठ) कोई कारोबार चलानेवाले किसी व्यक्ति क्त द्वारा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य साहूकारी करने का नहीं है, **सद्भावपूर्वक** दिया गया अग्रिम, यदि ऐसा अग्रिम उसके कारोबार के नियमित अनुक्रम में दिया गया है;

(ड) धारा २९ और ३१ के प्रयोजनों के सिवाय,—

(एक) किसी भू-स्वामी द्वारा उसके अभिधारी को फसल के वित्तपोषण या मौसमी वित्तपोषण के लिये अभिधारी द्वारा धारण की गई भूमि के प्रति एकड़ १,००० रूपये से अनधिक का कर्ज;

(दो) कृषक श्रमिक को उसके नियोक्ता द्वारा दिया गया अग्रिम कर्ज इसमें शामिल नहीं होगा;

स्पष्टीकरण.— " अभिधारी " पद का वही तात्पर्य होगा जो, महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, या कृषि भूमियों की अभिधृति से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अभिधृति विधि में उसके लिए समनुदेशित किया गया है और "फसल का वित्तपोषण" और " मौसमी वित्तपोषण " का वही तात्पर्य होगा, जो महाराष्ट्र कृषि ऋणी राहत अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है ; सन् १९४८ का बम्बई ६७। सन् १९४७ का बम्बई २८।

(१४) " साहूकार " का तात्पर्य,—

(एक) किसी व्यक्ति; या

(दो) अविभक्त हिन्दू कुटुंब; या

सन् १९३४ का २।

(तीन) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के अध्याय ३ ख के अधीन विनियमित गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी से अन्य कंपनी ;

(चार) व्यष्टियों के अनिगमित निकाय से है, जो वह,—

(क) राज्य में साहूकारी का कारोबार करता या करते हैं; या

(ख) जिनका राज्य में ऐसे कारोबार का अपना मूल स्थान है ; और इसमें पणयम-दलाल सम्मिलित होंगे, किन्तु इसमें,—

(एक) सरकार;

(दो) स्थानीय प्राधिकरण;

(तीन) बैंक;

(चार) सहकारी बैंक ;

(पाँच) बहुउद्देशीय सहकारी बैंक ;

(छह) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी ;

(सात) प्राथमिक क्रेडिट बैंक ;

(आठ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ;

(नऊ) भारतीय रिजर्व बैंक ;

सन् १९६३ का १०।

(दस) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, १९६३ के अधीन गठित कृषि पुनर्वित्त निगम; या

(ग्यारह) कोई अन्य बैंककारी या वित्तीय संस्था शामिल नहीं होंगी जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(१५) " पणयम-दलाल " का तात्पर्य, ऐसे साहूकार से है, जो सामान्यतः अपने कारोबार के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में कर्ज देता है और ऐसे कर्ज की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में पणयम में माल लेता है;

(१६) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(१७) कर्ज के संबंध में " मूल " का तात्पर्य, कर्जदार को वास्तव में अग्रिम दी गयी रकम से है, चाहे वह नगद या वस्तु रूप में हो;

सन् १९७६ का २१।

(१८) " प्रादेशिक ग्रामीण बैंक " का तात्पर्य, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, १९७६ की धारा ३ के स्थापित बैंक से है ;

(१९) बृहन्मुंबई के संबंध में " मान्यताप्राप्त भाषा " का तात्पर्य, मराठी या हिन्दी और अन्यत्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भाषा से है ;

(२०) " रजिस्टर " का तात्पर्य, धारा ७ के अधीन बनाये रखे गये साहूकारों के रजिस्टर से है;

(२१) " महा रजिस्ट्रार " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये साहूकारी महा रजिस्ट्रार से है;

(२२) " नियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(२३) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है;

(२४) " वाद जिसे यह अधिनियम लागू होगा " का तात्पर्य, साहूकार और कर्जदार या उसके उत्तराधिकारी के बीच इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व या के बाद अग्रिम कर्ज संबंधी किसी वाद से है;

(२५) " व्यापारी " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है, जो, कारोबार के नियमित अनुक्रम में मालों या अन्य संपत्ति की खरीद तथा बिक्री करता है, चाहे जंगम हो या स्थावर हो, और इसमें,—

(एक) थोक या खुदरा व्यापारी,

(दो) कमिशन एजंट,

(तीन) दलाल,

(चार) उत्पादक,

(पाँच) संविदाकार,

(छह) कारखाना मालिक सम्मिलित होंगे,

किन्तु, इसमें कारीगर या ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो कृषि उपज या मवेशी का विक्रय करता है या अपने उपयोग के लिए कृषि उपज या मवेशी की खरीद करता है।

स्पष्टीकरण.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, " कारीगर " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जो ठीक पूर्ववर्ती बारह महीने के किसी एक दिन, उत्पादन प्रक्रिया में दस से अधिक कर्मकारों को रोजगार नहीं देता है।

महा रजिस्ट्रार और उसको सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।

३. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, साहूकारी महा रजिस्ट्रार और ऐसी संख्या में प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकेगी जैसा वह उचित समझें।

(२) महा रजिस्ट्रार की संपूर्ण राज्य में अधिकारिता होगी। प्रभागीय रजिस्ट्रार की उसके संपूर्ण प्रभाग में अधिकारिता होगी, जिला रजिस्ट्रार की संपूर्ण जिले में अधिकारिता होगी और सहायक रजिस्ट्रार की जिले के ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता होगी जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। प्रभागीय रजिस्ट्रार, महा रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे, जिला रजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, के अधीनस्थ होंगे और सहायक रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे।

साहूकार जिस क्षेत्र के लिए उसे लाईसेंस प्रदान किया गया है उसे छोड़कर और ऐसे लाईसेंस के निबंधनों के अनुसरण को छोड़कर साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा।

४. कोई भी साहूकार, जिस क्षेत्र के लिए उसे लाइसेंस अनुदत्त किया गया है उसे छोड़कर और ऐसे लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण को छोडकर साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा।

लाइसेंस के लिए आवेदन।

५. (१) प्रत्येक साहूकार, प्रत्येक वर्ष, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि विहित किया जाये, उस क्षेत्र के, जिसकी सीमा के भीतर, वह स्थान स्थित है, जहाँ वह साहूकारी करता है या साहूकारी कारोबार करने का आशय रखता है, सहायक रजिस्ट्रार को लाइसेंस अनुदत्त करने के लिए विहित प्ररूप में लाइसेंस देने के लिए आवेदन करेगा। जब वह एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार करता है या करने का आशय रखता है वहाँ ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में ऐसे सहायक रजिस्ट्रार को एक अलग आवेदन किया जायेगा। ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ शामिल होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे साहूकार का सही नाम, जिसमें वह साहूकारी करने का इरादा करता है और उसका प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार प्रस्तावित व्यक्ति का सही नाम;

(ख) यदि आवेदन द्वारा या की और से किया जा रहा हो,—

(एक) किसी व्यक्ति द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति का सही नाम और पता;

(दो) अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो ऐसे परिवार के प्रबंधक और प्रौढ़ सहदायिक का सही नाम और पता;

(तीन) कंपनी द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो, उसके निदेशक, प्रबंधक या उसका प्रबंध करनेवाले प्रधान अधिकारी का सही नाम और पता;

(चार) अनिगमित व्यष्टि निकाय द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो, ऐसे व्यष्टियों के सही नाम और पता;

(ग) राज्य में साहूकारी के कारोबार के क्षेत्र और स्थान या मुख्य स्थान;

(घ) राज्य में उस किसी अन्य स्थान का नाम जहाँ साहूकारी का कारोबार करने का इरादा है;

(ङ) चाहे आवेदन पर हस्ताक्षर करनेवाला व्यक्ति स्वंय या अविभक्त हिन्दू परिवार का कोई वयस्क सदस्य, या कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक या प्रधान अधिकारी या अनिगमित निकाय का कोई सदस्य है जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है या, यथास्थिति, आवेदन करने के ठीक पूर्व ३१, मार्च का समाप्त होनेवाले वर्ष में या तो व्यक्तिगत रूप से या साझेदारी में या किसी अन्य सहदायिक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से और चाहे उसी नाम या किसी अन्य नाम से राज्य में साहूकारी का कारोबार करता है ;

(च) वह कुल रकम, जिसे ऐसा व्यक्ति उस वर्ष में, जिसके लिए उसने आवेदन किया गया है, साहूकारी के कारोबार में निवेश करने का इरादा रखता है;

(छ) यदि वह स्थान जहाँ साहूकारी का कारबार किया जाना है, एक से अधिक हैं तो ऐसे प्रत्येक स्थान पर कारोबार का प्रबंध करनेवाले व्यक्तियों के सही नाम।

(२) आवेदन, लिखित में और हस्ताक्षरित में किया जाये ा,—

(क) (एक) यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है, तो व्यक्ति द्वारा;

(दो) यदि आवेदन अविभक्त हिन्दू परिवार की ओर से किया गया है तो ऐसे परिवार के प्रबंधक द्वारा;

(तीन) यदि आवेदन, कंपनी या अनिगमित निकाय द्वारा किया गया है तो कारबार के प्रबंध निदेशक या उसके प्रमुख स्थान का नियंत्रण रखनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ख) स्वयं साहूकार व्यक्ति, या परिवार या कंपनी या, यथास्थिति, निगमित निकाय द्वारा, मुख्तारनामे द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(३) आवेदन में, ऐसी अन्य विशिष्टियाँ भी अन्तर्विष्ट की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(४) प्रत्येक आवेदन, विहित की गई लाइसेंस फीस के साथ किया जायेगा।

(५) इस धारा के अधीन देय फीस विहित रीत्या अदा की जायेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि आवेदन वापस ले लिया गया है या तत्पश्चात्, खारिज कर दिया गया है वापस नहीं की जायेगी।

लाइसेंस अनुदत्त करना और रजिस्टर में प्रविष्टि।

६. (१) धारा ५ के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सहायक रजिस्ट्रार, आवेदक की वास्तविकता और आचरण के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक जाँच करेगा और अपनी रपट के साथ जिला रजिस्ट्रार को आवेदन अग्रेषित करेगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, जिला रजिस्ट्रार, आगे ऐसी जाँच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, आवेदक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस अनुदत्त कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाये और सहायक साहूकार रजिस्ट्रार को धारा ७ के अधीन उसके द्वारा बनाये रखे गये रजिस्ट्रर में ऐसे आवेदक का नाम प्रविष्ट करने का निदेश देगा:

परन्तु, जिला रजिस्ट्रार, अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित **ग्रामसभा** और **पंचायत** से और जहाँ लाइसेंस का क्षेत्र एक से अधिक **ग्रामसभा** या **पंचायत** तक विस्तारित होता है वहाँ उन संबंधित सभी **ग्रामसभा** और **पंचायत समिति** से परामर्श करने के बाद, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर साहूकार, साहूकारी का कारोबार करता है या करने का इरादा रखता है ऐसा लाइसेंस अनुदत्त करेगा :

परन्तु आगे यह कि, उपर्युक्त किसी भी मामले में संकल्प पारित कर संबंधित **ग्रामसभा** के बहुमत द्वारा लिया गया विनिश्चय संबंधित **पंचायत समिति** पर बाध्यकारी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) **" ग्रामसभा "**, **" पंचायत "** और **" अनुसूचित क्षेत्र "** पद का तात्पर्य, वही होगा जो महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किये गये है; सन् १९५९ का ३।

(दो) **" पंचायत समिति "** पद का तात्पर्य, वही होगा जो महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में उसके लिए समनुदेशित किया गया है। सन् १९६२ का महा. ५।

साहूकार का रजिस्टार।

७. प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रार, अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिए ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाये साहूकारों का रजिस्टर बनाये रखेगा।

लाइसेंस जारी करने से इन्कार करना।

८. (१) निम्नलिखित किन्हीं आधारों को छोड़कर लाइसेंस अनुदत्त करने से इनकार नहीं किया जायेगाः—

(क) कि आवेदक, या साहूकार के रूप में उसके कारोबार के प्रबंध के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदारी के लिए प्रस्तावित कोई व्यक्ति लाइसेंस धारण करने से निरर्ह किया गया है; सन् १९६२ का महा. ५।

(ख) कि आवेदक ने लाइसेंस अनुदत्त करने के लिए आवेदन के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों या नियमों का अनुपालन नहीं किया है;

(ग) कि आवेदक ने इस अधिनियम की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन में जानबूझकर

चूक की है या का जानबूझकर उल्लंघन किया है ;

(घ) कि जिला रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसे समाधानकारक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक या साहूकारी के कारोबार के प्रबंध के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदारी के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति ने,—

(एक) साहूकारी के कार्य में या कारोबार के संबंध में जानबूझकर किसी कपट में या अप्रामाणिकता में भाग लिया है या बेईमानी की है ; या

(दो) भारतीय दंड संहिता के अध्याय **सत्रह** या अध्याय **अठारह** की धारा ४६५, ४७७ या ४७७-क के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया गया है। सन् १८६० का ४५।

(२) जिला रजिस्ट्रार, उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस देने से इन्कार करने से पूर्व, आवेदक को आवेदन के समर्थन में साक्ष्य यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का और यह कारण दर्शाने का कि क्यों लाइसेंस देने से इन्कार नहीं किया जाये, युक्तियुक्त अवसर देगा ; और उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य और ऐसे इन्कार के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

(३) उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस देने से इन्कार करने के जिला रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्रभागीय रजिस्ट्रार को की जायेगी, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध अपील विनिश्चय के दिनांक से तीन महिने के भीतर दाखिल की जा सकेगी :

परंतु, यदि प्रभागीय रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से रोका गया था तो, वह अभिलिखित कारणों के लिए, उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के विनिश्चय के दिनांक से तीन महीने की अवधि के अवसान के बाद अपील पर विचार कर सकेगा।

महा रजिस्ट्रार की पुनरीक्षण करने की शक्तियाँ।

९. महा रजिस्ट्रार **स्वप्रेरणा से** या आवेदन पर, ऐसी किसी जाँच या किसी मामले की कार्यवाहियों का अभिलेख परीक्षण के लिए माँग सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा, जहाँ उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है या विनिश्चय दिया गया है और विनिश्चय या आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में और कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। यदि ऐसी जाँच के दौरान महारजिस्ट्रार का समाधान होता है कि, इस प्रकार दिया गया विनिश्चय या आदेश उपान्तरित, बातिल किया जाना या उलटना चाहिये तो वह, उससे प्रभावित हो सकनेवाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसे न्यायोचित प्रतीत हो।

लाइसेंस की अवधि।

१०. लाईसेंस, जिस दिनांक को अनुदत्त किया गया है उस दिनांक से आगामी ३१ मार्च तक वैध होगा :

परन्तु, जहाँ विहित अवधि के भीतर लाइसेंस के नवीकरण के लिए कोई आवेदन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ आवेदन का अंतिम रूप से निपटान होने तक, लाईसेंस वैध समझा जायेगा।

लाइसेंस रद्दकरने की जिला रजिस्ट्रार की शक्ति।

११. (१) जिला रजिस्ट्रार, किसी लाइसेंस की अवधि के दौरान, इस आधार पर लिखित आदेश द्वारा उसे रद्द कर सकेगा कि जिस व्यक्ति को वह अनुदत्त किया गया था वह ऐसे किसी कृत्य या आचरण के लिए दोषी है जिस के लिए वह धारा ८ के अधीन उसे लाईसेंस अनुदत्त करने से इन्कार कर सकता है और जो कृत्य या आचरण लाईसेंस अनुदत्त करते समय उसके निदर्शन में नहीं लाया गया था।

(२) उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस रद्द करने से पूर्व जिला रजिस्ट्रार, लाईसेंसधारी को लिखित में सूचना देगा और ऐसी जाँच कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(३) उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस रद्द करनेवाले जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील, प्रभागीय रजिस्ट्रार को की जायेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीन महिने के भीतर दाखिल की जा सकेगी :

परन्तु, यदि प्रभागीय रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीन महिने की अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से रोका गया था तो, वह अभिलिखित कारणों के लिए, उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के आदेश के दिनांक से तीन महिने की अवधि के अवसान के बाद अपील पर विचार कर सकेगा।

निरीक्षण फीस का उद्ग्रहण।

१२. (१) लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करनेवाले साहूकार पर धारा ५ के अधीन उद्ग्रहणीय लाइसेंस फीस के अतिरिक्त निरीक्षण फीस, लाईसेंस का नवीकरण चाहे जाने की अवधि के दौरान उसके द्वारा उपयोग में लाये गये अधिकतम निवेश के एक प्रतिशत या एक सौ रुपये, जो भी अधिक हो की दर पर उद्ग्रहित की जायेगी।

(२) उप धारा (१) के अधीन निरीक्षण फीस जब तक अदा नही की जाती तब तक लाइसेन्स के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को मंजूरी नही दी जाएगी।

स्पष्टीकरण .—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अधि तम पूंजी" का तात्पर्य, पूँजी राशि की ऐसी अधिकतम कुल रकम से है जो लाईसेंस अवधि के दौरान किसी दिन साहूकारी कारोबार में विनिहित बची है।

लाईसेंस धारण न करनेवाले साहूकारों द्वारा वाद।

१३. (१) कोई भी न्यायालय, किसी वाद में साहूकार के पक्ष में तब तक कोई डिक्री पारित नहीं करेगा जब तक न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि कर्ज या उसका कोई भाग जिससे वाद संबंधित है, दिये जाने के समय साहूकार ने वैध लाईसेंस धारण किया था और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि साहूकार ने वैध लाईसेंस धारण नहीं किया था तो वह वाद खारिज कर देगा।

(२) इस धारा की कोई भी बात, साहूकार की संपत्ति की उगाही करने के लिए, प्रतिपाल्य-अधिकरण, या शासकीय समनुदेशिती, प्रापक, प्रशासक या प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, १९०९, या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, १९२० या उस अधिनियम के तत्स्थानी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यायालय या कंपनी अधिनियम, १९५६ या कंपनी अधिनियम, २०१३ या यथास्थिति के अधीन समापक की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी। सन् १९०९ का ३। सन् १९२० का ५। सन् १९५६ का १। सन् २०१३ का १८।

लाईसेंस रद्द करने के लिए आवेदन।

१४. (१) कोई भी व्यक्ति, लाईसेंस की विधिमान्यता के दौरान साहूकार को जारी किये गए लाईसेंस को इस आधार पर रद्द करने के लिए जिला रजिस्ट्रार के पास आवेदन दाखिल कर सकेगा कि ऐसा साहूकार ऐसे किसी कार्य या आचरण का दोषी है जिसके लिए जिला रजिस्ट्रार धारा ८ के अधीन उसे लाईसेंस अनुदत्त करने से इन्कार कर सकता है। उक्त व्यक्ति, अपना आवेदन दाखिल करते समय, ऐसी रकम जो १०० रुपये से अनधिक होगी जमा करेगा, जैसा जिला रजिस्ट्रार उचित समझे ।

(२) ऐसे आवेदन या निक्षेप या धारा १६ के अधीन कार्य करनेवाले किसी अधिकारी से उस प्रभाव की रपट की प्राप्ति पर, जिला रजिस्ट्रार, जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि साहूकार ऐसे कृत्य या आचरण का दोषी है तो वह साहूकार का लाईसेंस रद्द कर सकेगा और उप-धारा (१) के अधीन किये गये निक्षेप को वापस करने के निदेश भी दे सकेगा।

(३) यदि जिला रजिस्ट्रार की राय में उप-धारा (१) के अधीन किया गया आवेदन तुच्छ या तंग करनेवाला है तो वह, उप-धारा (१) के अधीन जमा की गई रकम में से ऐसी रकम साहूकार को अदा करने के निदेश दे सकेगा जैसा वह प्रतिभूति के रूप में उचित समझे।

महा रजिस्ट्रार और उसके अधिनस्थों को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

१५. धाराएँ ६ और १६ के प्रयोजनों के लिए, महा रजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और धारा १६ के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को; और धारा १४ के प्रयोजनों के लिए जिला रजिस्ट्रार को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उनका प्रयोग कर सकेंगे जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है :—

(क) किसी भी व्यक्ति को हाज़िर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेज और सारवान उद्देश्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ;

(ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमिशन जारी करना ; और

(घ) शपथपत्र द्वारा तथ्यों का सबूत देना।

अभिलेखों या दस्तावजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ।

१६. यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिये, साहूकारी का कारोबार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किया गया है या नहीं किया गया है मह ारजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी साहूकार या ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके संबंध में महा रजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि, वह राज्य में साहूकारी का कारोबार कर रहा है, उसके कब्जे के किसी अभिलेख या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उस प्रयोजन से सुसंगत है और तत्पश्चात् ऐसा साहूकार या व्यक्ति ऐसे अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। मह ारजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, उचित सूचना देने के बाद किसी भी उचित समय पर किसी भी परिसर में वारंट बिना प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जहाँ उसका यह विश्वास है कि ऐसा अभिलेख या दस्तावेज रखे गये हैं और ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा और ऐसे अभिलेख का अर्थ लगाने या सत्यापित करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा।

वैध लाइसेंस के बिना साहूकारी कारोबार करने वाले साहूकार के पास गिरवी रखी हुई संपत्ति का निपटान।

१७. (१) यदि धारा १६ के अधीन बनाये गये अभिलेख तथा दस्तावेजों के निरीक्षण पर, निरीक्षण अधिकारी का समाधान होता है कि वैध लाइसेंस के बिना, साहूकारी का कारोबार करने के दौरान साहूकार द्वारा अग्रिम दिए गए कर्ज के लिए ऋणी द्वारा प्रतिभूति के रूप में उसके पास गिरवी रखी गई संपत्ति साहूकार के कब्ज़े में है तो, निरीक्षण अधिकारी, ऐसी संपत्ति का कब्ज़ा तत्काल उसे परिदत्त करने के लिए साहूकार से अपेक्षा करेगा।

(२) उसे ऐसी संपत्ति परिदत्त किये जाने पर, निरीक्षण अधिकारी, यदि वह जिला रजिस्ट्रार नहीं है तो, उसे जिला रजिस्ट्रार को सौंपेगा और जिला रजिस्ट्रार (जब वह निरीक्षण अधिकारी भी है) तो वह इसमें आगे उपबंधित रीत्या निपटान के लिए उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(३) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन संपत्ति परिदत्त किये जाने पर, जिला रजिस्ट्रार, उसकी सम्यक् सत्यापना और पहचान करने के बाद, उसे उस ऋणी को, जिसने उसे गिरवी रखा है या, जहाँ ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ज्ञात वारिसों को वापस देगा।

(४) यदि ऋणी या उसके ज्ञात वारिस का पता लगाया नहीं जा सका तो जिला रजिस्ट्रार, संपत्ति का कब्ज़ा लेने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर, विहित रीत्या उसके लिए दावा माँगते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। यदि, उक्त अवधि के अवसान के पूर्व, चाहे सूचना के जवाब में या अन्यथा दावा प्राप्त होता है तो, वह ऐसे दावे को न्यायनिर्णित करेगा और विनिश्चय करेगा। यदि जिला रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि कोई दावा वैध है, तो वह उसका दावा करनेवाले व्यक्ति को उसके लिए रसीद देने पर संपत्ति का कब्ज़ा सौंपेगा; और संपत्ति का दावा करनेवाले व्यक्ति को उसका ऐसा परिदान जिला रजिस्ट्रार को किसी अन्य व्यक्ति के ऐसी संपत्ति के संबंध में उसके दायित्व से मुक्त कर देगा। यदि दावा नकारा जाता है तो संपत्ति राज्य सरकार के पास समपहृत रहेगी।

(५) जहाँ ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्ज़ा (उसकी पहचान समेत) किसी कारण के लिए उसे परिदत्त नहीं किया जा सका है तो यदि ऐसा ऋणी या, यथास्थिति, उसका वारिस संपत्ति का दावा करता है तो उस साहूकार से, जिसके पास वह गिरवी रखी गई थी, ऋणी को या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके ज्ञात वारिसों को ऐसी संपत्ति का मूल्य अदा करने की अपेक्षा की जायेगी। यदि साहूकार मूल्य अदा करने में विफल रहता है तो वह, उससे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी; और मूल्य की वसूली पर, वह उस ऋणी को, जिसने ऐसी संपत्ति गिरवी रखी थी या, यथास्थिति, वारिस को परिदत्त की जायेगी।

(६) यदि साहूकार और ऋणी या, यथास्थिति, उसके वारिस के बीच संपत्ति मूल्य या उसकी पहचान के प्रश्न पर मतभेद होता है, तो प्रश्न विनिश्चय के लिए प्रभागीय रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा और प्रश्न पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(७) संपत्ति का मूल्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये गये विशेषज्ञों की सेवाओं की सहायता से अवधारित किया जा सकेगा। विशेषज्ञ को ऐसा मानदेय अदा किया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा उसके द्वारा नियुक्त तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी अवधारित करे।

साहूकारी के दौरान अर्जित की गई स्थावर संपत्ति की वापसी।

१८. (१) यदि, धारा १६ के अधीन सत्यापन या धारा १७ के अधीन निरीक्षण के दौरान प्रकट तथ्यों के आधार पर या किसी ऋणी के आवेदन पर या अन्यथा द्वारा, जिला रजिस्ट्रार का यह विश्वास करने का कारण होता है कि सत्यापन या निरीक्षण के दिनांक से या ऋणी से आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर विक्रय, बंधक, पट्टे पर, विनियमन या अन्यथा के रूप में, साहूकार के कब्ज़े में आई कोई स्थावर सम्पत्ति साहूकारी का कारोबार करते समय साहूकार द्वारा अग्रिम दिए कर्ज के लिए प्रतिभूति के रूप में साहूकार को ऋणी द्वारा प्रस्तुत की गई सम्पत्ति है तो, जिला रजिस्ट्रार, स्वयं या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये जानेवाले किसी जाँच अधिकारी के जरिए, विहित रीत्या संव्यवहार के स्वरूप की आगे जाँच करेगा।

(२) यदि, उप-धारा (१) के अनुसार जाँच करने पर जिला रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि स्थावर सम्पत्ति साहूकार के कारोबार के दौरान साहूकार द्वारा अग्रिम दिए गए कर्ज की प्रतिभूति के रूप में साहूकार के कब्ज़े में आई है तो जिला रजिस्ट्रार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारणों को अभिलिखित करने के बाद, हस्तांतरण लिखत अवैध घोषित करेगा और उस ऋणी को, जिसने प्रतिभूति के रूप में लिखत या हस्तांतरण निष्पादित किया है या उसके वारिस या, यथास्थिति, उत्तराधिकारी को सम्पत्ति के कब्ज़े के प्रत्यावर्तन का आदेश दे सकेगा।

(३) उप-धारा (२) के अनुसार कोई आदेश पारित करने या निर्णय देने से पूर्व जिला रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को उसे सूचना की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर अपने आक्षेपों को बताने, यदि कोई हो, का और यदि वह ऐसा चाहता है तो व्यक्तिगत सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर देगा।

(४) उप-धारा (२) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के आदेश या निर्णय से व्यथित, कोई भी व्यक्ति आदेश या निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर प्रभागीय रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा :

परन्तु, यदि अपीलकर्ता प्रभागीय रजिस्ट्रार का यह समाधान करता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था तो वह एक महिने की अवधि के अवसान के बाद, अपील दाखिल कर सकेगा।

(५) उप-धारा (४) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील में प्रभागीय रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(६) उप-धारा (४) के अधीन उपबंधित अपील के अध्यधीन, उप-धारा (२) के अधीन जिला रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश या दिया गया निर्णय पर्याप्त रूप से हस्तांतरणीय होगा और महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भू-अभिलेखों को बनाए रखने संबंधी कार्य सौंपे गये प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि अपने अभिलेखो में ऐसे आदेशों को प्रभावी करे। सन १९६६ का महा. ४१।

लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की न्यायालय की शक्ति।

१९. (१) (एक) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए साहूकार के विरुद्ध दोषसिध्दि का आदेश पारित करनेवाला न्यायालय, या

(दो) वाद का विचारण करनेवाले न्यायालय का, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साहूकार ने इस अधिनियम के उपबंधों या नियमों का ऐसा उल्लंघन किया है जो उसकी राय में उसे साहूकारी करने के लिए उसे अनुपयुक्त बनाता है, तो वह,—

(क) यह आदेश दे सकेगा कि राज्य में ऐसे साहूकार द्वारा धारण किये हुए समस्त लाइसेंस ऐसे समय के लिए रद्द या निलंबित किये जायें, जैसा वह उचित समझे, और

(ख) यदि उचित समझे तो ऐसे किसी साहूकार को, या यदि साहूकार अविभक्त हिन्दू परिवार, कंपनी या अनिगमित निकाय है तो ऐसे कुटुम्ब, कंपनी या निकाय और ऐसे कुटुम्ब, कंपनी या निकाय द्वारा की जानेवाली साहूकारी के प्रबंध के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति को भी, ऐसे समय के लिए राज्य में कोई लाइसेंस धारित करने से निरर्ह घोषित कर सकेगा, जैसा न्यायालय उचित समझे :

परन्तु, जहाँ किसी साहूकार द्वारा धारित कोई लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाता है या इस धारा के अधीन किसी साहूकार को कोई लाइसेंस धारण करने से निरर्ह किया जाता है वहाँ वह ऐसे आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसे सामान्यत: आदेश पारित करनेवाले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है, और वह न्यायालय जिसने आदेश पारित किया था या अपील न्यायालय, यदि उचित समझे अपील का निर्णय होनेतक इस धारा के अधीन आदेश का प्रवर्तन स्थगित रख सकेगा।

(२) जहाँ न्यायालय इस अधिनियम के अधीन साहूकार को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराता है या उप-धारा (१) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड़ (क) या (ख) के अधीन आदेश देता है या घोषणा करता है तो, दोषसिद्धि की विशिष्टियों, आदेश या, यथास्थिति, घोषणा को, दोषसिद्ध साहूकार द्वारा या घोषणा से प्रभावित होनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित समस्त लाईसेंसो को पृष्ठांकित करवायेगा और अपने आदेश या घोषणा की प्रतिलिपियाँ उस जिला रजिस्ट्रार को रजिस्टर में ऐसी विशिष्टियाँ प्रविष्ट करने के प्रयोजनार्थ भिजवायेगा जिसके द्वारा लाइसेंस अनुदत्त किये गये थे।

(३) उप-धारा (२) के अनुसार न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन के लिए आवश्यक कोई लाइसेंस, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीत्या और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिसके द्वारा वह धारण किया गया है, जैसा न्यायालय निदेश दे और कोई व्यक्ति जो, युक्तियुक्त कारण के बिना, इस प्रकार अपेक्षित लाइसेंस प्रस्तुत करने में चूक करता है तो दोषासिद्धि पर, उस अवधि के दौरान जिसमें चूक की जा रही है प्रत्येक दिन के लिए, एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

(४) इस धारा के अधीन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, किसी न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण में किया जायेगा।

लाइसेंस के निलंबन या रद्दकरण के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

२०. जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाता है वहाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिकर या किसी लाइसेंस फीस या निरीक्षण फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

लाइसेंस के निलंबन या रद्दकरण की अवधि के दौरान साहूकारी करने से व्यक्तियों को विवर्जित किया याजेगा।

२१. ऐसा व्यक्ति जिसका लाइसेंस इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में निलंबित या रद्द किया गया है तो निलंबन या, यथास्थिति, रद्दकरण की अवधि के दौरान, राज्य में साहूकारी का कारेबार करने के लिए निरर्ह होगा।

वह व्यक्ति जिसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया गया है लाइसेंस के पृष्ठांकरन या निरर्हता की विशिष्टियाँ दिये बिना आवेदन नहीं करेगा।

२२. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका लाइसेंस धारा १९ के अधीन पृष्ठांकित किया गया है या जो लाइसेंस धारण करने से निरर्हित किया गया है वह ऐसा पृष्ठांकन या निरर्हता की विशिष्टियाँ दिये बिना, लाइसेंस के लिये आवेदन नहीं करेगा या लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

वचनपत्र, बंधपत्र आदि, का तथ्यपूर्ण होना।

२३. कोई भी साहूकार, कर्ज का दिनांक और रकम उल्लिखित किये बिना, ऐसा कोई वचनपत्र, अभिस्वीकृति, बंधपत्र या अन्य लिखत नहीं लेगा जिसमें कर्ज की वास्तविक रकम दर्शायी नहीं गयी है या जिसमें ऐसी रकम गलत दर्शायी गयी है या ऐसी कोई लिखत निष्पादित की गयी है जिसमें निष्पादन के बाद भरे जाने के लिये निरंक रखा गया है।

लेखा बनाए रखने और उसकी प्रतियाँ देने का साहूकार का कर्तव्य।

२४. (१) प्रत्येक साहूकार, ऐसे प्ररुप में और रीत्या जैसा कि विहित किया जाये, एक रोकड़ बही और एक खाता-बही रखेगा और बनाए रखेगा।

(२) प्रत्येक साहू ार,—

(क) (एक) ऋ णी को, कर्ज दिये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, किसी मान्यता प्राप्त भाषा में स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप में कर्ज की रकम और दिनांक और उसकी पूर्णता, कर्ज के लिए प्रतिभूति का

स्वरूप, यदि कोई हो, ऋणी और साहूकार का नाम और पता और प्रभारित फ्रयाज की दर दर्शाते हुए एक विवरणपत्र देगा या दिलवायेगा:

परन्तु, यदि साहूकार ऋणी को ऐसी पासबुक की आपूर्ति करता है जो विहित प्ररूप में होगा और जिसमें

ऋणी से किए गये संव्यवहार का अद्यतन लेखा बनाए रखा होगा, तो ऐसा कोई विवरणपत्र उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी;

(दो) सहायक रजिस्ट्रार को, उप खंड (एक) में निर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट विवरणपत्र उक्त अवधि के भीतर देगा या दिलवायेगा ;

(ख) किसी कर्ज के पूर्ण प्रतिसंदाय पर, ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक कागज पर कर्ज की अदायगी या रद्दकरण दर्शानेवाले स्थायी शफ्रद्द अंकित करेगा और कर्ज के लिए प्रतिभूति के रूप में ऋणी द्वारा दिया गया प्रत्येक बंधकपत्र मुक्त करेगा, प्रत्येक गिरवी लौटायेगा, प्रत्येक नोट वापस करेगा और दिया गया प्रत्येक समनुदेशन रद्द या पुनःसमनुदेशित करेगा ।

(३) उप-धारा (२) के खंड (क) के उप-खंड (दो) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट साहूकार के ऐसे वर्ग को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी प्रत्येक अवधि के दौरान दिये गये सभी कर्जों के संबंध में उप-धारा (२) के खण्ड (क) के उप-खंड (एक) में निर्दिष्ट विवरणवाला एक विवरणपत्र सहायक रजिस्ट्रार को देने या दिलवाने की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकेगी ; और ऐसे आदेश के जारी होने पर, इस उप-धारा में यथा उपबंधित नियतकालिक विवरणपत्र प्रदान करना चुननेवाले साहूकार, ऐसी प्रत्येक अवधि के अवसान के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर उसे देगा या दिलवायेगा ।

(४) कोई साहूकार, किसी कर्ज के बारे में ऋणी को ऐसी अदायगी के लिए स्पष्ट और पूर्ण रसीद दिये बिना उससे कोई अदायगी प्राप्त नहीं करेगा ।

(५) कोई भी साहूकार, कर्ज के लिए ऋणी से पणयम, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु उसके लिए, ऐसी रसीद पर वस्तु का वर्णन, अनुमानित मूल्य, उसके बदले अग्रिम दी गई कर्ज की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों सहित जैसा कि विहित किया जाए, सुस्पष्ट हस्ताक्षरित रसीद दिये बिना स्वीकार नहीं करेगा । साहूकार, अलग रजिस्टर में ऐसी प्राप्तियों की दूसरी प्रतिलिपियाँ बनाए रखेगा ।

साहूकार द्वारा लेखा विवरणपत्र और उसकी प्रतियाँ देना।

२५. (१) प्रत्येक साहूकार, प्रत्येक वर्ष अपने प्रत्येक ऋणी को, ऐसे ऋणी के समक्ष बकाये की किसी रकम का, साहूकार या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित ऐसों ऋणी का सुपाठ्य लेखा विवरण देगा या दिलवायेगा । विवरण पत्र में,—

(एक) अलगसे वर्ष के प्रारम्भ में साहूकार, को देय मूल रकम, फ्रय्याज की रकम और धारा २६ में अलग से निर्दिष्ट फीस की रकम ;

(दो) वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए कर्ज की कुल रकम ;

(तीन) वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिसंदाय की कुल रकम ; और

(चार) वर्ष की समाप्ति पर देय मूल रकम और फ्रय्याज की रकम दर्शायी जायेगी ।

विवरणपत्र साहूकार या उसके एजन्ट द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और किसी मान्यताप्राप्त भाषा में दिया जायेगा । वह ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसे दिनांक को या के पूर्व ऋणी को दिया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए :

परन्तु, यदि ऋणी को साहूकार द्वारा ऐसी पासबुक की आपूर्ति की जाती है। जो विहित प्ररूप में होगी और जिसमें ऋणी के संव्यवहार का अद्यतन लेखा बनाए रखा गया हो, तो ऐसा विवरणपत्र उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

साहूकार, खंड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट विवरणपत्र उपर्युक्त दिनांक को या के पूर्व सहायक रजिस्ट्रार को देगा या दिलवायेगा ।

(२) किसी विशिष्ट कर्ज के संबंध में, साहूकार, उस अवधि के दौरान किसी भी समय जब कर्ज या उसके किसी भाग की पुनःअदायगी नहीं की गई है। ऋणी द्वारा लिखित माँग करने पर और विहीत फीस की अदायगी पर, ऋणी को या यदि ऋणी इस प्रकार अपेक्षा करे, मांग में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, किसीमान्यता प्राप्त भाषा में और उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट सुसंगत विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट साहूकार या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण पत्र ऋणी द्वारा आवेदन करने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर देगा।

(३) साहूकार, ऋणी द्वारा लिखित में माँग करने पर और खर्च की विहित राशि देने पर, ऋणी को अपने द्वारा दिये गये किसी कर्ज या उसकी किसी प्रतिभूति से संबंधित किसी दस्तावेज की एक प्रतिलिपि की आपूर्ति करेगा या यदि ऋणी ऐसी अपेक्षा करे तो उस निमित्त माँग में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आपूर्ति करेगा।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, " वर्ष " का तात्पर्य, उस वर्ष से है जिसके साहूकार ने साधारणतः अपनी बहियों में लेखा बनाए रखा है।

ऋणी और सहायक रजिस्ट्रार की आपूर्ति किये गेय कतिपय विवरणपत्रों के लिए फीस।

२६. (१) साहूकार, धारा २४ की उप-धारा (२) या धारा २५ की उप-धारा (१) के अधीन ऋणी को विवरणपत्र या किसी पासबुक की आपूर्ति करने के लिए उससे और उक्त उप-धारा के अधीन सहायक रजिस्ट्रार को आपूर्ति किये ऐसे विवरणपत्र की प्रतिलिपियों के संबंध में या धारा २४ की उप-धारा (३) के अधीन उसको आपूर्ति किये गये विवरणपत्र की प्रतिलिपियों के संबंध में फीस वसूल कर सकेगा।

(२) ऐसी फीस, प्रति ऋणी प्रति वर्ष अधिकतम दो रुपये के अध्यधीन ऐसी दर से और ऐसी रीत्या जैसा की विहित किया जाए सुसंगत वर्ष के दौरान ऋणी या सहायक रजिस्ट्रार को आपूर्ति किये गये विवरणपत्र या उसकी प्रतिलिपियों की संख्या का विचार किये बिना, वसूल की जायेगी।

लेखाओं की शुद्धता स्वीकार करने के लिए ऋणी बाध्य नहीं होगा।

२७. कोई ऋणी जिसे धारा २४ के अधीन एक पासबुक प्रस्तुत की गई है या धारा २५ के अधीन लेखाओं के विवरणपत्र प्रस्तुत किया गया है। उसकी शुद्धता अभिस्वीकृत करने या को इन्कार करने के लिये बाध्य नहीं होगा और ऐसा करने के लिए उसके असफल होने पर उसके द्वारा लेखाओं की शुद्धता ग्रहण की गई नहीं समझी जायेगी।

कर्ज संबंधी वाद में न्यायालय की कार्यवाही।

२८. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऋणी के विरुद्ध साहूकार द्वारा दायर किसी वाद में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है:—

(क) न्यायालय, गुणागुण पर दावे का विनिश्चय करने के पूर्व विवाद्यक की विरचना करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि धारा २४ और २५ के उपबंधों का अनुपालन साहूकार ने किया है या नहीं किया है ;

(ख) यदि न्यायालय यह पाता है कि साहूकार द्वारा धारा २४ या धारा २५ के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह यदि वादी का दावा पूर्णतः या अंशतः सिद्ध हुआ है तो देय पाए गए संपूर्ण ब्याज या कोई अंश अस्वीकृत कर सकेगी जैसा मामले की परिस्थितियों में उसे उचित जान पडे ; और उसका खर्च अस्वीकृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.— कोई साहूकार, जिसने विहित प्ररूप और रित्या में रसीद दी है या लेखा विवरणपत्र या पासबुक प्रस्तुत किया है। किसी भूल-चूक के बावजूद धारा २४ या, यथास्थिति धारा २५ के उपबंधों का अनुपालन किया गया समझा जायेगा। यदि न्यायालय यह पाता लगता है कि, ऐसी भूल-चूक महत्त्वपूर्ण नहीं है या कपटपूर्वक नहीं की गई है।

कतिपय मामलों में वसूलीय ब्याज परिसीमित करने की न्यायालय की शक्ति।

२९. तत्समय प्रवृत्त किसी करार या किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, किसी कर्ज के संबंध में चाहे वह इस अधिनियम के प्रर्वतमान होने के दिनांक के पूर्व या के बाद अग्रिम दिया गया हो, फ्रय्याज के फलस्वरूप डिक्री के दिनांक को देय मूल कर्ज से अधिक राशि की कोई डिक्री पारित नहीं करेगा।

सन् १९०८ का ५

डिक्रीत रकम की किस्तों में अदायगी के निदेश देने की न्यायालय की शक्ति।

३०. सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, निर्णीत ऋणी के आवेदन करने पर, किसी भी समय, डिक्री धारक को सूचना देने के पश्चात्, निदेश दे सकेगा कि कर्ज के संबंध में चाहे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व या के पश्चात् उसके विरूद्ध पारित किसी डिक्री की रकम, निर्णीत ऋणी की परिस्थितियों और डिक्री की रकम को ध्यान में रखकर, इतनी किस्तों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अदा की जायेगी और ऐसे दिनांक को देय होगी, जैसा वह उचित समझे।

ब्याज की दरों की सीमा।

३१. (१) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर सुरक्षित कर्ज और असुरक्षित कर्ज के संबंध में साहूकार द्वारा प्रभारित की जानेवाली फ्रय्याज की अधिकतम दर नियत कर सकेगी।

(२) कोई भी साहूकार किसी ऋणी या आशयित ऋणी से, अग्रिम या आशयित अग्रिम किसी कर्ज पर चक्रवृद्धि फ्रय्याज के रूप में कोई राशि या उप-धारा (१) के अधीन नियत दर से अधिक दर पर फ्रय्याज के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं करेगा।

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी साहूकार किसी ऋणी से, फ्रय्याज के लेखे पर मूल कर्ज की रकम, से अधिक कोई राशि प्रभारित या वसूल नहीं करेगा चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व या के पश्चात् अग्रिम दिया गया हो ।

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, उप-धारा (१) के अधीन नियत अधिकतम दर से अधिक दरों पर फ्रय्याज की अदायगी के लिये किसी साहूकार या किसी ऋणी के बीच किया गया करार और उप-धारा (२) और (३) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई करार विधिमान्य नहीं होगा।

साहूकार द्वारा कर्ज पर खर्च के लिए प्रभार का प्रतिवेध।

३२. (१) कोई भी साहूकार, किसी ऋणी या आशयित ऋणी से, सम्पत्ति के हक की जाँच के युक्तियुक्त खर्च, स्टाम्प के खर्च, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण और अन्य प्रायिक वास्तविक खर्च से अन्य कोई राशि, ऐसे मामले में प्राप्त नहीं करेगा जहाँ पक्षकारों के बीच हुए किसी करार में यह अनुबंध सम्मिलित है कि सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में दी जायेगी और जहाँ दोनों पक्षकार ऐसी खर्च के लिए और उसकी प्रतिपूर्ति के लिये लिखित में सहमत होते हैं या जहाँ ऐसे खर्च, प्रभार या व्यय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय है । सन् १८८२ का ४।

(२) उप-धारा (१) के उल्लंघन में किसी साहूकार द्वारा ऋणी या आशयित ऋणी से, उस उप-धारा में निर्दिष्ट खर्च, प्रभार या व्यय के फलस्वरूप प्राप्त कोई राशि ऋणी या, यथास्थिति, आशयित ऋणी को साहूकार से उससे देय होने वाले ऋण के रूप में वसूलीय होगी या ऋणी या आशयित ऋणी को दिए गए वास्तविक कर्ज की मुजराई के लिये दायी होगी ।

कर्ज का समनुदेशन।

३३. (१) जहाँ कोई कर्ज, इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से पूर्व या के पश्चात् अग्रिम में दिया गया है, या ऐसे कर्ज का कोई फ्रय्याज या किसी करार का लाभ दिया गया है, या ऐसे कर्ज के संबंध में प्रतिभूति की गई है,

या फ्रय्याज किसी समनुदेशिती को समनुदेशित किया गया है, वहाँ समनुदेशक (चाहे वह ऐसा साहूकार हो जिसके द्वारा रकम उधार दी गई थी या ऐसा व्यक्ति है जिसे पहले ऋण समनुदेशित किया गया है) समनुदेशन किये जाने से पहले,—

(क) समनुदेशिती को लिखित में सूचना देगा कि कर्ज, फ्रय्याज, करार या प्रतिभूति इस अधिनियम के प्रवर्तन से प्रभावित होगी;

(ख) समनुदेशिती को इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये उसे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक सभी सूचना की आपूर्ति करेगा; और

(ग) ऋणी को, समनुदेशिती का नाम और पता देते हुए, समनुदेशन की लिखित में सूचना देगा।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का दायी होगा, जिस पर उल्लंघन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

समनुदेशिती के रूप में अधिनियम की प्रयुक्ति।

३४. (१) इसमें आगे उपबंधित के सिवाय, जहाँ इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से पूर्व या के पश्चात्, साहूकार द्वारा उधार दी गई रकम या इस प्रकार उधार दी गई रकम पर फ्रय्याज या किसी ऐसे ऋण या फ्रय्याज के संबंध में किये गये किसी करार के लाभ या ली गई प्रतिभूति के संबंध में उसे देय होनेवाला कोई कर्ज समनुदेशित किया गया है, वहाँ समनुदेशिती को साहूकार समझा जायेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध, ऐसे समनुदेशिती को उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह साहूकार है।

(२) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भी कारण से, ऐसा कोई समनुदेशन अवैध होता है और ऋणी ने इस प्रकार समनुदेशित किये गये किसी कर्ज के फलस्वरुप कोई रकम अदा की है, या सम्पत्ति अन्तरित की है तो समनुदेशिती को ऐसी अदायगी या अन्तरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, साहूकार का एजेन्ट समझा जायेगा।

संव्यवहार फिर से शुरू करना।

३५. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, ऐसे किसी वाद में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, साहूकार और ऋणी के बीच वाद चाहे सुनवाई **एकतरफ़ा** या अन्यथा हुई हो तो,—

(क) पक्षकारों के बीच पहले किया गया कोई संव्यवहार पुनः शुरू करेगा या कोई लेखा पुनःखोलेगा;

(ख) पक्षकारों के बीच के लेखे लेगा;

(ग) किसी अत्याधिक ब्याज के संबंध में ऋणी पर प्रभारित रकम घटायेगा;

(घ) यदि हिसाब करने पर यह पाता है कि साहूकार ने, उसे देय होनेवाली रकम से अधिक रकम प्राप्त की है तो ऐसी रकम के संबंध में ऋणी के पक्ष में डिक्री पारित करेगा:

परन्तु, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय,—

(एक) पहले के संव्यवहारों को बंद करने के लिए तात्पर्यित कोई समझौता या करार, पुनःनहीं खोलेगा और नवीन बाध्यतायें सृजित नहीं करेगा जो पक्षकारों या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिसके जरिए वे उस वाद के दिनांक से, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, छह वर्षे के बाद तक दावा करेंगे।

(दो) ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो न्यायालय की किसी डिक्री को प्रभावित करती है।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "अत्याधिक ब्याज " का तात्पर्य, ऐसी दर पर लिये गये फ्रयाज से है जो धारा ३१ के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है ।

देय रकम का लेखा रखने और घोषित करने के लिये जाँच।

३६. (१) कोई भी ऋणी, चाहे कर्ज देय हो या न हो साहूकार को देय होनेवाली रकम की गणना करने और घोषित करने के लिये, न्यायालय को किसी भी समयपर आवेदन कर सकेगा । ऐसा आवेदन विहित प्ररुप में और विहित फीस के साथ किया जायेगा।

(२) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, न्यायालय, आवेदन की एक सूचना साहूकार को दिलवायेगा ।

(३) आवेदन की सुनवाई के लिये नियत दिनांक को या ऐसे दिनांक को, जब सुनवाई समय-समय पर स्थगित की जाए तो न्यायालय, जाँच करेगा और पक्षकारों के बीच हुए संव्यवहार को ध्यान में रखने के बाद, मूल रकम और फ्रयाज यदि कोई हो, के संबंध में, साहूकार को ऋणी द्वारा उस समय भी देय होनेवाली, रकम, यदि कोई हो, घोषित करने का आदेश देगा। इस धारा के अधीन ध्यान में रखने में न्यायालय धाराएँ २४ से ३५ और धारा ३८ के उपबंधों का पालन करेगा।

साहूकारों को देय राशि न्यायालय में जमा करना।

३७. (१) मूल रकम, फ्रयाज या दोनों के रूप में कर्ज के संबंध में साहूकार को ऋणी से देय रकम की कोई राशि साहूकार वह, किसी भी समय दे सकेगा।

(२) यदि साहूकार इस प्रकार दी गई कोई राशि स्वीकार करने से इन्कार करता है तो ऋणी, उक्त राशि न्यायालय के पास साहूकार के लेखे में जमा कर सकेगा।

(३) न्यायालय, तत्पश्चात् साहूकार पर निक्षेप की लिखित सूचना तामील करवायेगा और वह, कर्ज के संबंध में तब देय राशि दर्शाकर और उक्त राशि स्वीकार करने की अपनी रजामंदी दर्शाते हुए याचिका प्रस्तुत करने पर उसे प्राप्त करेगा और प्रथम फ्रयाज के प्रति विनियोजित करेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, मूल रकम के प्रति विनियोजित करेगा।

(४) जब साहूकार राशि स्वीकृत नहीं करता है, तब न्यायालय उक्त रकम प्रथम फ्रयाज के प्रति विनियोजित करेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, मूल रकम के प्रति विनियोजित करेगा।

ब्याज की गणना।

३८. पक्षकारों के बीच हुए किसी करार या तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब धारा २४ के अधीन पास-बुक की आपूर्ति की गई है, या धारा २५ के अधीन किसी ऋणी को विवरणपत्र प्रदान किया गया या यदि धारा ३६ के अधीन लेखा दिया जाता है, या कैलेंडर महीने के किसी भी दिन धारा ३७ के अधीन कर्ज के संबंध में साहूकार को ऋणी द्वारा टेंडर दिया जाता है, तो देय फ्रयाज, उस तथ्य के बावजूद कि ऐसा विवरण कैलेंडर महीने के किसी दिन प्रदान किया या पासबुक की आपूर्ति की गई है, या ऐसा लेखा दिया गया है, पुनः अदायगी के वास्तविक दिनांक तक देय परिकलित किया जायेगा।

वैध लाईसेंस के बिना साहूकारी करने के लिए शास्ति।

३९. जो कोई भी, वैध लाईसेंस प्राप्त किये बिना,साहूकारी का कारोबार करता है तो दोषसिद्धि पर, पांच वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से, या पचास हजार रुपयों तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

मिथ्या विवरण देने के लिए शास्ति।

४०. जो कोई भी, लाईसेंस अनुदत्त करने या लाईसेंस नवीकरण करने के लिये किसी आवेदन में या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों द्वारा या के प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी दस्तावेज में किसी महत्त्वपूर्ण विशिष्टियों में यह जानते हुए कि वह गलत है, जानबूझकर कोई विवरण देता है, तो दोषसिद्धि पर, दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास से, या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

फर्जी नाम से लाईसेंस प्राप्त करना, लाईसेंस में उल्लेख न किये गए स्थान पर साहूकारी करना, आदि।

४१. **जो** कोई भी,—

(क) ऐसे नाम से जो उसका सही नाम नहीं है, लाईसेंस प्राप्त करता है, या इस प्रकार प्राप्त लाईसेंस के अधीन साहूकारी का कारोबार करता है, या

(ख) ऐसे किसी स्थान पर जिसका उल्लेख ऐसा कारोबार करने के लिए उसे प्राधिकृत करनेवाले लाईसेंस में नहीं है, साहूकारी करता है, या

(ग) वैध लाईसेंस के बिना या ऐसे नाम से जो उसका सही नाम नहीं है, प्राप्त लाईसेंस के अधीन साहूकारी के कारोबार के दौरान कोई करार करता है, तो दोषसिद्धि पर,—

(एक) प्रथम अपराध के लिए, एक वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास से, या पंद्रह हजार रुपयों तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा; और

(दो) दूसरे और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, खंड (एक) में विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त या के बदले में, जहाँ ऐसा व्यक्ति कोई कम्पनी नहीं है, तो किसी भी प्रकार के कारावास से जो, पाँच वर्षों से कम नहीं होगा और जहाँ ऐसा व्यक्ति कोई कम्पनी है, वहाँ ऐसे जुर्माने से जो, पचास हजार रुपयों से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

वचनपत्र, बंधनपत्र आदि में गलत प्रविष्टि के लिये शास्ति।

४२. जो कोई भी, धारा २३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से, या तीन वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा २४ या २५ के उल्लंघन के लिए शास्ति।

४३. जो कोई भी, धारा २४ या २५ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा ३१ के उल्लंघन में ब्याज की दर प्रभारित करने के लिए शास्ति।

४४. जो कोई भी, धारा ३१ के उल्लंघन में फ्र्याज प्रभारित या वसूल करता है, तो दोषसिद्धि पर, यदि वह प्रथम अपराध है, तो पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पचास हजार रुपयों तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

उत्पीड़न के लिए शास्ति।

४५. (१) जो कोई भी, लेनदार को ऋण द्वारा देय किसी ऋण की वसूली के लिये उसका उत्पीड़न करता है या उसे उत्पीड़त करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो दोषसिद्धि पर, दो वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पाँच हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति जो, अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने से जिसे करने का उसे अधिकार है या ऐसा कोई कृत्य करने से जिसे प्रविरत करने का उसे अधिकार है, प्रविरत करने के आशय से,—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को बाधित करता है या बल प्रयोग का उपयोग करता है या अभित्रस्त करता है, या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार पिछा करता है या उसके स्वामित्त्व की या उसके द्वारा उपयोग की जानेवाली किसी सम्पत्ति में बाधा डालता है या उसका उपयोग करने से उसे वंचित करता है या प्रतिबाधित करता है, या

(ग) किसी मकान या अन्य स्थान के पास जहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति निवास करता है या कार्य करता है या कारोबार करता है, आवारगी करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को परेशान या भयभीत करने के लिए ऐसा कार्य करवाता या करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को उत्पीड़ित किया गया समझा जायेगा।

शास्तियाँ संबंधी सामान्य उपबंध।

४६. जो कोई भी, इस अध्यादेश के किसी उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, या के उल्लंघन मे कोई कार्य करता है, यदि इस अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट शास्तियों का उपबंध नहीं किया गया है तो,—

(क) प्रथम अपराध के लिये एक वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा; और

(ख) दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिये, दो वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या दस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

निगमों आदि द्वारा अपराध।

४७. यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति अविभक्त हिन्दू परिवार या कोई कम्पनी या कोई अनिगमित निकाय है तो ऐसे परिवार, कम्पनी या निकाय के कारोबार के प्रबंध के लिये जिम्मेवार व्यक्ति ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी समझा जायेगा।

कतिमय अपराध संज्ञेय होंगे।

सन् १९७४ का २।

४८. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) धारा ४ के उपबंधों के उल्लंघन के लिये धाराएँ ३९ और ४१, और

(ख) धारा २३ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए धारा ४२, और

(ग) उत्पीड़न के लिए धारा ४५ के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।

कृषक ऋणी के विरुद्ध रकम के लिये डिक्री के निष्पादन में कोई गिरफ्तारी नहीं की जायेगी और कारावास नहीं दिया जायेगा।

४९. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऋणी जो व्यक्तिगत रूप से खेती करता है, और जिसका कर्ज पंद्रह हजार रुपयों से अधिक नहीं है इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व या के बाद साहूकार के पक्ष में पारित कर्ज के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा या कारावास नहीं दिया जायेगा।

सन् १९४८ का बम्बई ६७।

स्पष्टीकरण.— " व्यक्तिगत रूप से खेती करना " का तात्पर्य, महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम की धारा २ के खंड (६) में या किसी तत्स्थानी अधिनियम में उसे समनुदेशित तात्पर्य से है।

प्रत्येक अधिकारी लोकसेवक होगा।

सन् १८६० का ४५।

५०. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करनेवाला सरकार का प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जायेगा।

सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

५१. इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए साहूकार महा रजिस्ट्रार या किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेंगी।

सन् १९४७ का बम्बई २८ के उपबंधों की व्यावृत्ति।

सन् १९४७ का बम्बई २८।

५२. इस अधिनियम की कोई भी बात महाराष्ट्र कृषि ऋणी राहत अधिनियम, के किन्हीं उपबंधों या उस अधिनियम के तत्स्थानी प्रवृत्त कृषि ऋणग्रस्तता की राहत संबंधी किसी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगी और कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी कर्ज से संबंधित, जिसके बाबत उक्त अधिनियम या, यथास्थिति, उक्त विधि के अधीन ऋण समायोजन कार्यवाही की जा सकती है, कोई वाद ग्रहण नहीं करेगा या कार्यवाही नहीं करेगा।

राज्य सरकार की अपणी शक्तियाँ के प्रत्यायोजन की शक्ति।

५३. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

नियम।

५४. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्न सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा ५ के अधीन लाईसेंस के लिए आवेदन करने, उसमें शामिल की जानेवाली अधिकतर विशिष्टियों का प्ररूप और लाईसेंस फीस की अदायगी की रकम और रीति ;

(ख) धारा ६ के अधीन लाईसेंस का प्ररूप और शर्ते और लाईसेंस फीस की अदायगी की रीति;

(ग) धारा ७ के अधीन रजिस्टर का प्ररुप;

(घ) किसी साहूकार के पास गिरवी रखी गई सम्पत्ति के लिए दावे आमंत्रित करने के लिए धारा १७ की उप-धारा (४) के अधीन सूचना प्रकाशित करने की रीति;

(ङ) धारा २४ की उप-धारा (१) के अधीन रोकड़-बही और खाता-बही का प्ररूप और उसे बनाए रखने की रीति और उप-धारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली पासबुक का प्ररूप तथा उप धारा (५) के अधीन विहित की जानेवाली अन्य विशिष्टियाँ;

(च) धारा २५ की उप-धारा (१) के अधीन लेखा विवरण तथा उप-धारा (३) के अधीन अदा किये जाने वाले खर्च की राशि ;

(छ) धारा २६ की उप-धारा (२) के अधीन अदा की जाने वाली फीस ;

(ज) धारा ३६ की उप-धारा (१) के अधीन आवेदन का प्ररूप और अदा की जानेवाली फीस;

(झ) इस अधिनियम के अधीन विहित किया गया या विहित किये जा सकनेवाला कोई अन्य मामला या कोई मामला जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध या पर्याप्त उपबंध नहीं है और जिनके लिए राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना आवश्यक है ;

(ञ) यह उपबंध करना कि किसी भी नियम का उल्लंघन अपराध होगा तथा ऐसी रकम से अनधिक रकम के जुर्माने से दण्ड़नीय होगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हों या दोंनो सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम **राजपत्र** में ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, या यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले कृत या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाई निराकरण की शक्ति।

५५. (१) यदि, इस अधिनियम के उपबंन्धो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर प्रोदभूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधो से अन् असंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

परंतु ऐसा कोई की आदेश, इस अधिनियम के प्रारंम्भण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बन जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् १९४७ का बम्बई ३१ का निरसन और व्यावृत्ति।।

५६. (१) बम्बई साहूकार अधिनियम, १९४६, एतदद्वारा, निरसित किया जाता है। सन् १९४७ का बम्बई ३१।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी लाईसेंस समेत) इस अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् २०१४ का महा. अध्य. १ की निरसन और व्यावृत्ति।

५७. (१) महाराष्ट्र साहकारी (विनियमन) अध्यादेश, २०१४ निरसित किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. १।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्टत अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, (जारी किसी लाईसेंस समेत) इस अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति जारी की गई समझी जायेगी।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.